रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263082
CG-DL-E-14052025-263082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947
No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

फा. सं. बीसीआई:डीः 3335 / 2025.—भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम, 2022 में भारतीय विधिज्ञ परिषद की सामान्य सभा ने संशोधित नियम का संकल्प लिया है, जिसे पहले 10 मार्च, 2023 को राजपत्रित किया गया था।

संशोधित नियम और विनियम परिषद द्वारा अनुमोदित हैं और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तुरंत बाद लागू होंगे।

उद्देश्य और कारणः

1. भारत में कानूनी पेशे को एक महान पेशे के रूप में माना जाता है। भारत में कानूनी पेशे को व्यावसायिक गतिविधि या सेवा या अनुबंध के रूप में नहीं माना जाता है। कानून कोई व्यापार नहीं है, और न ही यह किसी तरह का माल बेचता है, इसलिए वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा या खरीद के कारण कानूनी पेशे को दूषित नहीं बनाया जाना चाहिए (माननीय न्यायमूर्ति कृष्णार्येर, वी.आर.)

2. भारतीय संविधान के तहत, कानूनी पेशा अपने उद्देश्यों, शासन और सामाजिक भूमिका में व्यापार और वाणिज्य से मौलिक रूप से भिन्न है। जबकि व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत संरक्षित और अनुच्छेद 301 द्वारा विनियमित, लाभ सृजन, उपभोक्ता संतुष्टि और आपूर्ति और मांग के सिद्धांतों द्वारा शासित मुक्त बाजारों को बढ़ावा देने जैसी आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कानूनी पेशा इन वाणिज्यिक

उद्देश्यों से परे है। एक महान पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त, कानूनी क्षेत्र न्याय और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्ययी और नैतिक जिम्मेदारियों में निहित है, जैसा कि अनुच्छेद 39 ए में जोर दिया गया है, जो न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा विनियमित, कानूनी पेशा एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में काम करने के बजाय सार्वजनिक हित की सेवा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए समर्पित है। इस अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी.के. गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अन्य में 14 मई, 2024 को दिए गए फैसले में पुख्ता किया, जिसमें अधिवक्ताओं को उनकी सेवाओं को "सेवा के लिए अनुबंध" के बजाय "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के रूप में वर्गीकृत करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (सीपीए) के दायरे से बाहर रखा गया। यह निर्णय, जिसने एनसीडीआरसी के पिछले फैसले को पलट दिया, विश्वास, गोपनीयता और पेशेवर नैतिकता पर आधारित अधिवक्ता–ग्राहक के अनूठे रिश्ते को उजागर करता है, और कानूनी सेवाओं की गैर–वाणिज्यिक प्रकृति की पुष्टि करके एक लंबे समय से चली आ रही बहस को हल करता है। संवैधानिक ढांचा सातवीं अनुसूची के माध्यम से इस अंतर पर और जोर देता है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य संघ सूची (प्रविष्टियाँ 41 और 42) के तहत शासित होते हैं, जो संघ को अंतर–राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, कानूनी पेशे को संघ सूची प्रविष्टियों 77 और 78 के तहत संबोधित किया जाता है, जबकि पेशेवर आचरण के पहलू भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और संघर्ष के मामले में संघ कानून यानी अधिवक्ता अधिनियम प्रबल होगा।

संक्षेप में, जबकि व्यापार और वाणिज्य आर्थिक विकास और लाभ को प्राथमिकता देते हैं, कानूनी पेशा न्याय, नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन के लिए समर्पित है, जो इसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला बनाता है।

3. भारतीय विधिज्ञ परिषद की राय में, भारत में कानूनी पेशे को कानूनी क्षेत्र में वैश्विक बदलावों को संबोधित करने के लिए आगे आना होगा, जो देशों के बीच लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण हुआ है, जो पहले के समय में अभूतपूर्व घटना है। दुनिया एक वैश्विक गाँव बनती जा रही है।

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार के बाजारों में काम करने वाले ग्राहकों और व्यवसायों से भारत में एक खुले, उत्तरदायी और ग्रहणशील कानूनी पेशेवर तंत्र की मांग काफी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्य का विस्तार, कानूनी प्रथाओं का वैश्वीकरण और कानून का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत में कानूनी पेशे और प्रथाओं के विकास और विकास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं।

5. भारतीय विधिज्ञ परिषद ने शुरू में किसी भी रूप में विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों के भारत में प्रवेश का विरोध किया था। हालाँकि, 2007 और 2014 के बीच, भारत में सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों के साथ आयोजित संयुक्त परामर्श सम्मेलनों के दौरान, कानूनी बिरादरी ने भारतीय विधिज्ञ परिषद को भारत सरकार (कानून और न्याय मंत्रालय और व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय) के साथ–साथ विदेशी देशों की कानून परिषदों और कानून समितियों के साथ बातचीत और बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। इन चर्चाओं का उद्देश्य विदेशी वकीलों को भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति देने की क्षमता और संभावनाओं का पता लगाना था, विशेष रूप से विदेशी कानून के क्षेत्र में और गैर–मुकदमेबाजी वाले मामलों में विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर, पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर। भारतीय विधिज्ञ परिषद इस जनादेश का सक्रिय रूप से पालन कर रही है।

इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2009 को लॉयर्स कलेक्टिव बनाम भारतीय विधिज्ञ परिषद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति देना उचित नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत ''कानून के पेशे का अभ्यास करना'' की व्याख्या मुकदमेबाजी और गैर–मुकदमेबाजी दोनों मामलों को शामिल करते हुए की। नतीजतन, इसने फैसला सुनाया कि भारत में गैर–मुकदमेबाजी कानूनी मामलों का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को भी अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

6. मद्रास उच्च न्यायालय ने 21.12.2012 को ए.के. बालाजी बनाम भारत सरकार के मामले में डब्ल्यू.पी. 5614/2004, तथा एम.पी. संख्या 1,3 से 5 में निर्णय सुनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः–

पैरा 63–''तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर मामले पर गहन विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैंः–

(i) विदेशी कानूनी फर्म या विदेशी वकील भारत में मुकदमेबाजी या गैर–मुकदमेबाजी के रूप में वकालत का पेशा तब तक नहीं अपना सकते, जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते।

(ii) तथापि, विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए अधिनियम या नियमों में अस्थायी अवधि के लिए "फ्लाई इन और फ्लाई आउट" आधार पर भारत आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका उद्देश्य भारत में अपने ग्राहकों को विदेशी कानून या अपनी विधि प्रणाली तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय विधिक मुद्दों के संबंध में कानूनी सलाह देना हो।

(iii) इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विदेशी वकीलों को भारत आने और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने से नहीं रोका जा सकता है।

(iv) बी.पी.ओ. कंपनियाँ अपने ग्राहकों को वर्ड–प्रोसेसिंग, सचिवीय सहायता, प्रतिलेखन सेवाएँ, प्रूफ–रीडिंग सेवाएँ, ट्रैवल डेस्क सहायता सेवाएँ आदि जैसी विस्तृत श्रृंखला में अनुकूलित और एकीकृत सेवाएँ और कार्य प्रदान करती हैं, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के दायरे में नहीं आती हैं। हालाँकि, इन बी.पी.ओ. कंपनियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी शिकायत की स्थिति में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी दोषी कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है।" 2010 (2) महा एलजे 726

7. दूसरी ओर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने लॉयर्स कलेक्टिव बनाम भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मामले में डब्ल्यूपी 1526/1995 में 16 दिसंबर, 2009 को निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

"60. उपर्युक्त सभी कारणों से, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, आरबीआई द्वारा 1973 अधिनियम की धारा 29 के तहत भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए विदेशी कानूनी फर्मों को अनुमति देना न्यायसंगत नहीं था। हम आगे मानते हैं कि 1961 अधिनियम की धारा 29 में वकालत के पेशे का अभ्यास करने" की अभिव्यक्तियाँ मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के साथ–साथ गैर–मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं और इसलिए, भारत में गैर–मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 12 से 14 1961 अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य थे। याचिका को लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना तदनुसार निपटाया जाता है।"

8. उपरोक्त दोनों निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी, जबकि लॉयर्स कलेक्टिव ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी।

जब मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मामला 4 जुलाई, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया।

"इस बीच, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के तहत विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की कोई अनुमति नहीं देगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत "कानून के पेशे का अभ्यास करना" अभिव्यक्ति में विवादित आदेश के पैरा 63 (ii) में परिकल्पित के अलावा मुकदमेबाजी के मामलों के साथ–साथ गैर–मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्ति शामिल हैं और इसलिए, भारत में गैर–मुकदमेबाजी के मामलों में अभ्यास करने के लिए विदेशी कानूनी फर्म, चाहे किसी भी नाम से पुकारी या

वर्णित हों, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।" इसके बाद उक्त आदेश जारी रहा और अभी भी लागू है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.3.2018 के निर्णय के तहत बार में सिविल अपील संख्या 7875–7879/2015 के साथ सिविल अपील संख्या 7170/2015 और सिविल अपील संख्या 8028/2015 के तहत दोनों मामलों में अपीलों का निपटारा किया।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् बनाम ए.के. बालाजी एवं अन्य मामले में, मुद्दों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय दिया गया कि:–

"37. हमने प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। विचारणीय प्रश्न मुख्यतः मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 63 में दिए गए निर्देशों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें इस निर्णय के आरंभ में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है, अर्थातः

(i) क्या कानून के पेशे का अभ्यास करना में केवल मुकदमेबाजी अभ्यास या गैर–मुकदमेबाजी भी अभ्यास शामिल है? :–

(ii) क्या विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों द्वारा ऐसा अभ्यास अधिवक्ता अधिनियम और भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना अनुमेय है?,

(iii) यदि नहीं, तो क्या उक्त विधि फर्मों या वकीलों के लिए विविध अंतर्राष्ट्रीय विधिक मुद्दों पर विदेशी कानून के संबंध में विधिक सलाह देने के लिए "फ्लाई इन और फ्लाई आउट आधार पर भारत आने पर कोई प्रतिबंध है:–

(iv) क्या विदेशी विधि फर्मों और वकीलों पर मध्यस्थता कार्यवाही करने और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंधों से उत्पन्न विवादों पर कोई प्रतिबंध नहीं है?:

(v) क्या एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली बीपीओ कंपनियां एडवोकेट्स एक्ट या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं?

आरईः (i)

"38. प्रवीण सी. शाह बनाम के.ए. मोहम्मद अली17 में यह देखा गया कि वकालत करने का अधिकार एक प्रजाति है, जबकि पेश होने और मुकदमों का संचालन करने का अधिकार एक प्रजाति है। यह देखा गयाः

अधिवक्ता के अभ्यास करने के अधिकार में उसके द्वारा अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाने वाले बहुत से कार्य शामिल हैं। न्यायालयों में उपस्थित होने के अलावा, वह अपने मुवक्किलों से परामर्श ले सकता है, जब भी वह मांगे, वह अपनी कानूनी राय दे सकता है, वह दस्तावेजों, दलीलों, हलफनामों या किसी अन्य दस्तावेज का मसौदा तैयार कर सकता है, वह कानूनी चर्चाओं से संबंधित किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकता है आदि।

पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ मामले में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया।

"39. कानूनी पेशे की नैतिकता न केवल तब लागू होती है जब कोई वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। यही नैतिकता न्यायालय के बाहर अभ्यास को विनियमित करने के लिए भी लागू होती है। ऐसी नैतिकता का पालन करना न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है।

आरईः (ii)

"40. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि कानून का अभ्यास करने में न केवल न्यायालयों में उपस्थित होना शामिल है, बल्कि राय देना, दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, कानूनी चर्चा से संबंधित सम्मेलनों में भाग लेना भी शामिल है। ये गैर–मुकदमेबाजी अभ्यास के भाग हैं जो कानून के अभ्यास का हिस्सा है। अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय–IV में योजना यह स्पष्ट करती है कि केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता ही कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं, सिवाय किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान के। अन्य सभी केवल न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति की अनुमति से ही उपस्थित हो सकते हैं जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। अधिवक्ताओं के आचरण के लिए विनियामक तंत्र गैर–मुकदमेबाजी कार्य पर भी लागू होता है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति पर लागू निषेध निश्चित रूप से किसी भी विदेशी पर भी लागू होता है।

आरईः (iii)

"41. किसी विदेशी वकील का फ्लाई इन और फ्लाई आउट आधार पर आना, यदि नियमित आधार पर हो, तो उसे कानून का अभ्यास माना जाएगा। सलाह देने के लिए आकस्मिक यात्रा को अभ्यास की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। कोई विशेष यात्रा आकस्मिक है या बार–बार, ताकि उसे अभ्यास माना जाए, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसे परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद् या यूनियन ऑफ इंडिया इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह तर्क कि अधिवक्ता अधिनियम केवल तभी लागू होता है, जब कोई व्यक्ति भारतीय कानून का अभ्यास कर रहा हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, यह तर्क कि एक विदेशी वकील भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के विनियामक तंत्र के अधीन हुए बिना भारत में विदेशी कानून का अभ्यास करने का हकदार है, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि अधिवक्ता अधिनियम कंपनियों या फर्मों से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल व्यक्तियों से संबंधित है। यदि निषेध किसी व्यक्ति पर लागू होता है, तो यह व्यक्तियों के समूह या न्यायिक व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है।

आरईः (iv)

"42. यह मानना संभव नहीं है कि भारत में मध्यस्थता करने के लिए किसी विदेशी वकील पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि मामला विशेष नियमों द्वारा शासित है

किसी संस्था का मामला या यदि मामला धारा 32 या 33 के अंतर्गत आता है, तो निर्धारित तरीके से ऐसी कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। यदि मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित है, तो कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के साथ धारा 32 या 33 के अंतर्गत आ सकता है। ऐसे मामलों में भी, भारत में कानूनी पेशे पर लागू आचार संहिता, यदि कोई हो, का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद्या केंद्र सरकार को इस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान बनाना है, यदि उचित समझा जाए।

आरईः (v)

"43. अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की अनुकूलित और एकीकृत सेवाएँ और कार्य प्रदान करने वाली बीपीओ कंपनियाँ अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, केवल तभी जब उनकी गतिविधियाँ मूल रूप से कानून के अभ्यास के बराबर न हों। जिस ढंग से उन्हें शैलीबद्व किया गया है निर्णयिक नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, यदि उनकी सेवाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के अभ्यास के बराबर नहीं हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिसे तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले दर मामले के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

44. उपर्युक्त के मद्देनजर, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 63 (i) में दिए गए

दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं कि विदेशी कानूनी फर्म/कंपनियां या विदेशी वकील भारत में मुकदमेबाजी या गैर–मुकदमेबाजी पक्ष में कानून का पेशा नहीं कर सकते हैं (स्पष्टीकरण–जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं), जो ए.के. बालाजी बनाम भारत सरकार में 21.12.2012 को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और भारतीय विधिज्ञ परिषद् बनाम ए.के. बालाजी और अन्य में दोनों मामलों में अपीलों का निपटारा करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 13.3.2018 के संयुक्त पढ़ने से प्राप्त हुआ है।

हालांकि, हम मद्रास उच्च न्यायालय के पैरा 63(ii) में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हैं कि विदेशी कानून फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए भारत में अपने मुवक्किलों को विदेशी कानून या अपनी स्वयं की कानून प्रणाली और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों के बारे में कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से अस्थायी अवधि के लिए "फ्लाई इन और फ्लाई आउट" आधार पर भारत आने पर कोई रोक नहीं है। हम मानते हैं कि "फ्लाई इन और फ्लाई आउट" अभिव्यक्ति केवल एक आकस्मिक यात्रा को कवर करेगी जो "अभ्यास" के बराबर नहीं है। इस बात पर विवाद होने की स्थिति में कि क्या कोई विदेशी वकील भारत में अपने मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से आकस्मिक आधार पर "फ्लाई इन और फ्लाई आउट" तक ही खुद को सीमित कर रहा था। विदेशी कानून या अपनी स्वयं की विधि प्रणाली तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों के संबंध में या क्या वह वास्तव में ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था जो प्रतिबंधित है, इसका निर्धारण भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् या

भारत संघ को इस संबंध में उचित नियम बनाने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें ऐसे मामलों पर भी लागू होने वाली आचार संहिता का विस्तार करना शामिल है।

45. हम पैरा 63 (iii) में दिए गए निर्देश को भी संशोधित करते हैं कि विदेशी वकीलों को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए भारत आने से नहीं रोका जा सकता है। हम मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए विदेशी वकील का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि संस्थागत मध्यस्थता के नियम लागू होते हैं या मामला मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो विदेशी वकीलों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 और 33 के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही करने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि, वे भारत में कानूनी पेशे के लिए लागू आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद् या भारत संघ इस संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

46. हम मद्रास उच्च न्यायालय के पैरा 63(iv) में दिए गए निर्देश को भी संशोधित करते हैं कि बी.पी.ओ. कंपनियां अपने ग्राहकों को वर्ड प्रोसेसिंग, सचिवीय सहायता, प्रतिलेखन सेवाएं, प्रूफ रीडिंग सेवाएं, ट्रैवल डेस्क सहायता सेवाएं आदि जैसी व्यापक श्रेणी की अनुकूलित और एकीकृत सेवाएं और कार्य प्रदान करती हैं, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के दायरे में नहीं आती हैं। हमारा मानना है कि ऐसी सेवाओं का केवल लेबल ही निर्णायक नहीं माना जा सकता। यदि मूल रूप से सेवाएं कानून के अभ्यास के बराबर हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और विदेशी कानूनी फर्मों या विदेशी वकीलों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

10. इंग्लैंड और वेल्स की लॉ सोसायटी, यूनाइटेड किंगडम के सरकारी प्रतिनिधियों और भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग के सचिव के साथ हुई चर्चाओं और विचार–विमर्श के दौरान, यह पाया गया कि भारतीय वकीलों और कानूनी फर्मों को इंग्लैंड और वेल्स में खुद को स्थापित करने की अनुमति है। वे भारतीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभ्यास कर सकते हैं और अंग्रेजी कानून पर सलाह दे सकते हैं। हालाँकि, यू.के. में भारतीय वकीलों को आम तौर पर विदेशी मामलों के लिए नियामक ढांचे में उल्लिखित छह आरक्षित गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है। इन आरक्षित गतिविधियों में शामिल हैं: (1) न्यायालय के समक्ष दर्शकों/उपस्थित होने का अधिकार, (2) मुकदमेबाजी करना, (3) आरक्षित साधन गतिविधियाँ करना (जैसे कि अल्पकालिक पट्टों, वसीयत, अनुबंधों के लिए अनुबंधों का मसौदा तैयार करना, जिन्हें विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी या संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में निष्पादित नहीं किया जाना है), (4) प्रोबेट गतिविधियाँ, (5) शपथ दिलाना, और (6) नोटरी गतिविधियाँ करना। बार काउंसिल/बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड अंग्रेजी न्यायालयों के समक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों की श्रृंखला को संभालने वाले अधिवक्ताओं को बार में अस्थायी रूप से बुलाने की अनुमति भी देता है।

ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के अनुसार, भारतीय वकीलों को पंजीकृत विदेशी वकील (आरएफएल) के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता केवल तभी होगी, जब वे इंग्लैंड और वेल्स के वकीलों के साथ साझेदारी करेंगे, लेकिन वे मुख्य रूप से अपने गृह बार, यानी भारतीय बार परिषद के नियामक प्राधिकरण के अधीन रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, भारतीय अधिवक्ताओं के लिए सॉलिसिटर योग्यता परीक्षा (एसक्यूई) के माध्यम से इंग्लैंड और वेल्स में पुनः अर्हता प्राप्त करने का एक स्थापित मार्ग है। इस प्रक्रिया में पात्र छूट के लिए आवेदन करने के प्रावधान शामिल हैं, जो भारतीय वकीलों को यूके में सॉलिसिटर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् भी पात्रता और छूट के उद्देश्य से इसी तरह कुछ योग्यता परीक्षा शुरू करने पर विचार कर सकती है, यदि इससे भारतीय वकीलों/कानून फर्मों और भारत सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 05.06.2023 को बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ दोनों क्षेत्राधिकारों के बीच वकीलों के आदान–प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य दोनों क्षेत्राधिकारों के तहत काम करने वाले वकीलों के लिए विनिमय कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना है। इन विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत और यूनाइटेड किंगडम के कानूनी पेशेवरों को कानून के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर मिलेगा। इन पहलों को कानूनी प्रणालियों की सीमा पार समझ बढ़ाने, विभिन्न न्यायिक ढाँचों से

परिचित कराने और सहयोग और सीखने के माध्यम से पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए रूपांकित किया गया है।

इस तरह के आदान–प्रदान न केवल व्यक्तिगत वकीलों के पेशेवर विकास में योगदान करते हैं, बल्कि कानूनी समुदायों के बीच संबंधों को भी मजबूत करते हैं दोनों देशों के बीच यह साझेदारी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवहार के क्षेत्र में सहयोग और आपसी लाभ के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह साझेदारी तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में वैश्विक कानूनी नेटवर्क के बढ़ते महत्व पर जोर देती है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् एक ओर भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारत सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से) तथा दूसरी ओर लॉ सोसायटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, यू.के. सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन के विचार पर प्रगति के लिए भी उत्सुक है।

यू.के. प्रतिनिधियों ने भारतीय विधिज्ञ परिषद् को यह भी आश्वासन दिया है कि यू.के. के अधिकारी भी भारतीय अधिवक्ताओं और यू.के. के वकीलों के बीच सहयोग, सहकारिता और संयुक्त अभ्यास के प्रति उत्सुक और इच्छुक हैं।

11. इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का मानना है कि भारत में कानूनी पेशे को विदेशी वकीलों के लिए खोलना, विदेशी कानून के अभ्यास तक सीमित करना, गैर–मुकदमेबाजी वाले मामलों में विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों को संभालना और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में भाग लेना भारत में कानूनी क्षेत्र के विकास में सार्थक योगदान देगा, जिससे अंततः भारतीय वकीलों को भी लाभ होगा। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वकीलों की दक्षता और मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हैं, और भारत में कानूनी बिरादरी लाभप्रद स्थिति में होगी यदि भारत में कानून का अभ्यास पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित, नियंत्रित और विनियमित तरीके से विदेशी वकीलों के लिए खोला जाता है। ऐसा दृष्टिकोण भारतीय और विदेशी वकीलों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा, और ये नियम इस दिशा में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उठाए गए कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये नियम भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने तथा देश को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केन्द्र के रूप में स्थापित करने से संबंधित चिंताओं का भी समाधान करेंगे।

कई देशों ने पहले ही विदेशी वकीलों को विदेशी कानून का अभ्यास करने, विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों को संभालने, तथा प्रतिबंधित और सुपरिभाषित शर्तों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता मामलों में संलग्न होने की अनुमति दे दी है।

12. व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने इन नियमों को लागू करने का संकल्प लिया है, जिससे विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में विदेशी कानून, विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में पारस्परिकता के सिद्धांत पर, एक सुपरिभाषित, विनियमित और नियंत्रित तरीके से अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सके।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम, 2022 तैयार किए हैं, जिन्हें फरवरी 2025 में विधिवत संशोधित किया गया है। ये नियम धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (डी), (ई), (आईसी), (1), और (एम) और धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (एएच), (एजी), (सी), (ई), और (एच) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24, 29 और 47 और अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के साथ पढ़ा गया है।

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–

(क) इन नियमों को भारत में विदेशी वकीलों या विदेशी विधि फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम 2022 कहा जाएगा।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होते ही सम्पूर्ण भारत में लागू हो जायेंगे।

2. परिभाषाएँः–

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य समय–समय पर संशोधित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 से है।

(ii) अधिनियम में दी गई विभिन्न शर्तों की परिभाषाएं इन नियमों पर भी लागू होंगी।

(iii) "विदेशी वकील" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, कानूनी फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), कंपनी, निगम, या कोई अन्य कानूनी इकाई, चाहे जिस नाम से जानी जाए या वर्णित, जो किसी विदेशी देश के विनियामक ढांचे के तहत कानून का अभ्यास करने के लिए अधिकृत है। इसमें भारत में कानून के गैर–मुकदमेबाजी अभ्यास में शामिल होना शामिल है, जैसे कानूनी परामर्श, कानूनी दस्तावेजीकरण, मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिनिधित्व, और विदेशी कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित अन्य गैर–मुकदमेबाजी कानूनी गतिविधियाँ।

भारत में वकालत करने का इरादा रखने वाले विदेशी वकील को लागू कानूनों के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित पंजीकरण और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। ऐसा पंजीकरण भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत कानून में विदेशी योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के अधीन हो सकता है, जिसमें योग्यता की समानता, योग्यता परीक्षाएं और भारत में मुकदमेबाजी कानूनी अभ्यास पर प्रतिबंध शामिल हैं।

iv. (क) भारतीय अधिवक्ता/वकील से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारत में किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् की सूची में अधिवक्ता के रूप में विधिवत नामांकित है। भारतीय वकीलों को अदालतों, न्यायाधिकरणों, वैधानिक प्राधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों के समक्ष वकालत करने के साथ–साथ कानूनी परामर्श, दस्तावेजीकरण और सलाहकार सेवाओं सहित गैर–मुकदमेबाजी कानूनी गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार है, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् और संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन है।

स्पष्टीकरण:

किसी विदेशी देश का नागरिक जिसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की है, उसे भारत में वकालत करने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होगा। ऐसी पात्रता भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसमें अनिवार्य योग्यता परीक्षाएँ या परामर्श, सलाह और प्रारूपण जैसे गैर–मुकदमेबाजी वाले कानूनी अभ्यास क्षेत्रों पर प्रतिबंध जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं। न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अर्ध–न्यायिक निकायों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।

ये उपाय भारतीय कानूनी पेशे की अखंडता और उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही विदेशी नागरिकों को सीमित और विनियमित ढांचे के भीतर सार्थक योगदान करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

(ख) एक भारतीय अधिवक्ता/वकील जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकन के आधार पर विदेशी वकील के रूप में पंजीकरण चाहता है, और जो इसके अतिरिक्त इन नियमों की धारा 9 (2) में उल्लिखित विदेशी वकील के रूप में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकृत, अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं को दिए गए सभी अधिकार, हित और विशेषाधिकार बरकरार रखता है। इसमें निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन, मुकदमेबाजी और गैर–मुकदमेबाजी दोनों क्षेत्रों में कानून का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है।

(i) विदेशी वकील के रूप में पंजीकृत होने के दौरान, भारतीय अधिवक्ता अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत भारत में नामांकित अधिवक्ता के विशेषाधिकारों और दायित्वों के तहत कार्य करना जारी रखते हैं। यह भारतीय अदालतों, न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष मुकदमेबाजी में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी अप्रतिबंधित क्षमता सुनिश्चित करता है।

(ii) एक विदेशी वकील के रूप में, भारतीय अधिवक्ता को विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता मामलों से संबंधित गैर–मुकदमेबाजी कानूनी प्रथाओं में संलग्न होने की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होती है, जैसा कि नियम 8 और संबंधित विनियमों के तहत अनुमत है।

(iii) विदेशी वकील के रूप में पंजीकरण किसी भी तरह से भारतीय कानूनों के तहत कानून का अभ्यास करने के भारतीय अधिवक्ताओं के अधिकारों को सीमित या कम नहीं करता है, जिसमें न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने या अन्य मुकदमेबाजी गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार शामिल है, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत उनके नामांकन द्वारा प्रत्याभूत है।

(iv) विदेशी वकीलों के रूप में पंजीकृत भारतीय अधिवक्ता अपने कानूनी अभ्यास के सभी पहलुओं में भारतीय विधिज्ञ परिषद् की नियामक निगरानी के अधीन होंगे, चाहे वे भारतीय अधिवक्ता के रूप में हों या विदेशी वकील के रूप में।

(v) विदेशी लॉ फर्म का अर्थ है कोई भी इकाई, जिसमें भागीदारी, एलएलपी, कंपनी या निगम शामिल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो कानूनी कार्य में संलग्न है और अपने गृह क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत कानून का अभ्यास करने के लिए अधिकृत है। भारत में कानूनी क्षेत्र में काम करने का इरादा रखने वाली विदेशी लॉ फर्मों, विशेष रूप से विदेशी कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून परामर्श, दस्तावेजीकरण और मध्यस्थता जैसे गैर–मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में, को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकरण करना होगा और भारत में कानून के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले सभी लागू नियमों का पालन करना होगा।

ऐसी फर्मों पर विशिष्ट शर्तें लागू हो सकती हैं, जिनमें योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, कार्य के दायरे पर प्रतिबंध, तथा भारतीय विधिक क्षेत्र में विदेशी भागीदारी को नियंत्रित करने वाले नियमों का अनुपालन शामिल है।

विदेशी विधि फर्म से तात्पर्य उन संस्थाओं और व्यक्तियों से है जो नियम 8 के तहत परिभाषित गैर–मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से अभ्यास करते हैं, जब तक कि भारतीय कानून के अनुसार अतिरिक्त गतिविधियां करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् स्पष्ट रूप से अनुमति नही दी जाती।

(vi) (क) भारतीय लॉ फर्म से तात्पर्य साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), निजी कंपनी या भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त अन्य कानूनी इकाई से है, जिसके सदस्य, साझेदार या शेयरधारक विशेष रूप से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित भारतीय वकील हैं। भारतीय लॉ फर्म कानून के अभ्यास में संलग्न हो सकती हैं, जिसमें कानूनी परामर्श और सलाहकार सेवाएं, कानूनी दस्तावेजों और उपकरणों का मसौदा तैयार करना और पुनरीक्षण करना, मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, मध्यस्थता और अन्य विवाद समाधान मंचों में प्रतिनिधित्व, कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करना या कानूनी अनुसंधान करना शामिल है और भारतीय कानून के तहत अधिकृत कोई अन्य कानूनी कार्य कर सकती हैं।

विभिन्न राज्यों में कार्यरत भारतीय विधि फर्मों को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकरण कराना होगा, जबकि किसी विशिष्ट राज्य में कार्यरत फर्मों को संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकरण कराना होगा।

(ख) "भारतीय–विदेशी विधि फर्म" से तात्पर्य किसी भी भारतीय विधिक इकाई से है, जिसमें भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), कंपनी या निगम शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो विधिक कार्य में संलग्न है और भारत के कानूनों के तहत विधि का अभ्यास करने के लिए अधिकृत है। ऐसी फर्में भारतीय–विदेशी विधि फर्म की श्रेणी के अंतर्गत भी पंजीकरण करा सकती हैं, जैसा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें विदेशी वकीलों के रूप में पंजीकृत व्यक्तिगत भारतीय अधिवक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। विधिक क्षेत्र में, विशेष रूप से विदेशी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून परामर्श, दस्तावेजीकरण और मध्यस्थता जैसे गैर–मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में काम करने का इरादा रखने वाली भारतीय–विदेशी विधि फर्मों को विशिष्ट सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

भारतीय–विदेशी विधि फर्मों को लागू विनियमों के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ऐसी फर्मों को भारतीय और विदेशी दोनों तरह के कानूनों में कानूनी अभ्यास करने में सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय कानूनी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित होता है। इन फर्मों को नियम 8 और संबंधित विनियमों के तहत परिभाषित विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता मामलों से संबंधित गैर–मुकदमेबाजी कानूनी प्रथाओं में संलग्न होने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, वे भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष मुकदमेबाजी में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने सहित भारतीय कानून का अभ्यास करने की अप्रतिबंधित क्षमता बनाए रखते हैं।

विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भारतीय विदेशी विधि फर्मों का संचालन योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता और उन अधिकार क्षेत्रों में भारतीय भागीदारी को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुपालन के अधीन हो सकता है। भारत के भीतर, इन फर्मों को कानूनी क्षेत्र की अखंडता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। वे अपने अभ्यास के सभी पहलुओं में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियामक पर्यवेक्षण के अधीन हैं, चाहे वे भारतीय या विदेशी कानूनी मामलों से संबंधित हों। यह पर्यवेक्षण नैतिक मानकों, पेशेवर आचरण और मुकदमेबाजी और गैर–मुकदमेबाजी प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

भारतीय–विदेशी लॉ फर्म भारतीय कानून का अभ्यास करने के पूर्ण अधिकार रखती हैं, जिसमें अदालतों, न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष पेश होने जैसी मुकदमेबाजी गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत उनके पंजीकरण द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, ये फर्म विदेशी कानून और

अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने, सीमा पार लेनदेन से संबंधित कानूनी दस्तावेज और परामर्श प्रदान करने और विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्राप्त करती हैं। भारतीय–विदेशी लॉ फर्म के रूप में पंजीकरण किसी भी तरह से भारतीय कानून के तहत ऐसी फर्मों को दिए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों को सीमित या कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह विदेशी अधिकार क्षेत्र से जुड़े अभ्यास के गैर–मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में संलग्न होने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उनके पेशेवर दायरे का विस्तार होता है।

इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कानूनी फर्मों को विदेशी वकीलों के रूप में पंजीकृत भारतीय अधिवक्ताओं के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो समानता सुनिश्चित करते हैं और भारतीय कानूनी व्यवसायियों के लिए वैश्विक पेशेवर अवसरों को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष रूप में, भारतीय–विदेशी लॉ फर्म श्रेणी का निर्माण भारतीय कानूनी संस्थाओं के लिए पेशेवर उन्नति की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे नियामक मानकों के साथ सख्त अनुपालन बनाए रखते हुए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से काम कर सकते हैं।

(vii) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "साझेदारी" शब्द का अर्थ एक औपचारिक कानूनी साझेदारी या कानूनी समझौते द्वारा शासित समकक्ष संघ होगा। इन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले भारतीय वकील या भारतीय कानूनी फर्म विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों के साथ ऐसी साझेदारी नहीं करेंगे, लेकिन परामर्श और सलाहकार सेवाओं के लिए रेफरल व्यवस्था या अनुबंध अनुबंध के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं।

(viii) विदेशी देश का अर्थ है कोई भी देश जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संघीय शासन संरचना वाले विदेशी देश के मामले में, इस शब्द में उसका कोई भी घटक राज्य या प्रांत शामिल है, बशर्ते कि ऐसे घटक राज्य या प्रांत की अपनी न्याय–प्रणाली हो और उस देश के लागू कानूनों के तहत कानून का अभ्यास करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं का एक अलग वर्ग हो।

(ix) प्राथमिक कानूनी योग्यता वाले देश का तात्पर्य उस विदेशी देश से है, जहां संबंधित विदेशी वकील ने अपेक्षित कानूनी योग्यता प्राप्त कर ली है और वह उस देश के कानूनी और नियामक ढांचे के अनुसार कानून का अभ्यास करने के लिए अधिकृत या हकदार है।

(x) विदेशी कानून का अर्थ है कानून का वह निकाय, जिसमें कानून, विनियम, न्यायिक मिसालें या अन्य कानूनी सिद्धांत शामिल हैं, जो किसी विदेशी देश में प्रभावी है या था, जहाँ किसी व्यक्ति ने अपनी प्राथमिक कानूनी योग्यताएँ प्राप्त की हैं या जहाँ कानून अन्यथा लागू है। विदेशी कानून में उस विदेशी क्षेत्राधिकार के भीतर संस्थाओं, व्यक्तियों और गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा शामिल है।

(xi) अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, सिद्धांतों और मानदंडों के समूह को संदर्भित करता है जो वैश्विक स्तर पर संप्रभु राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के बीच संबंधों और अंतः क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल है, जो संधियों, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय संप्रभुता जैसे मामलों को संबोधित करता है, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो कानूनों और अधिकार क्षेत्र के टकरावों से निपटता है, और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किए जाने वाले राज्यों के सुसंगत और सामान्य अभ्यास से उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों, सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, रीति–रिवाजों, न्यायिक निर्णयों और मान्यता प्राप्त विद्वानों के लेखन से प्राप्त होता है।

(xii) विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है सरकार, एक वैधानिक प्राधिकरण, एक विधिज्ञ परिषद्, एक कानूनी रूप से अधिकृत संघ, या कोई अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और गठित निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा या वर्णित किया जाए, जिसे संबंधित विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत लाइसेंस, योग्यता, या कानून का अभ्यास करने की अनुमति देने, विनियमित करने, या देखरेख करने का अधिकार प्राप्त है।

ऐसे प्राधिकरण को उस देश के कानूनी और नियामक ढांचे के अनुसार काम करना चाहिए और उसे संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा कानूनी व्यवसायियों को प्रमाणित करने, उनके आचरण को विनियमित करने, या उस क्षेत्राधिकार के भीतर कानूनी पेशे के मानकों के अनुपालन को लागू करने में सक्षम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(xiii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भारत में किए गए वाणिज्यिक या मौद्रिक लेनदेन से संबंधित विवादों को हल करने की वैकल्पिक विधि को संदर्भित करती है, जहां शामिल पक्षों में से कम से कम एक व्यक्ति विदेशी देश का नागरिक है, एक फर्म, निगम, या व्यावसायिक इकाई है जो किसी विदेशी देश में पंजीकृत पता, मुख्य कार्यालय या

प्रधान कार्यालय रखती है, या भारतीय नागरिकों या संस्थाओं सहित एक पक्ष है, जो विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, या सीमा पार वाणिज्यिक हितों से जुड़े विवादों का समाधान चाहता है।

(xiv) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले का अर्थ है भारत में वाणिज्यिक या मौद्रिक मामले के संबंध में आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही, जहां कम से कम एक पक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो किसी विदेशी देश का नागरिक हो, कोई फर्म, निगम या व्यावसायिक इकाई हो जो किसी विदेशी देश में निगमित हो या जिसका पंजीकृत पता, मुख्य कार्यालय या प्रधान कार्यालय हो, जिसमें भारत में शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय वाली संस्थाएं शामिल हों, या कोई पक्ष जो विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या सीमा पार लेनदेन या संबंधों से उत्पन्न कानूनी मुद्दों से जुड़े विवादों का समाधान चाहता हो

(xv) "विदेशी ग्राहक" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विदेशी देश का नागरिक है, किसी फर्म, निगम या व्यावसायिक इकाई का तात्पर्य किसी विदेशी देश में पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय से है, जिसमें भारत में शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय वाली इकाइयां भी शामिल हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें भारतीय नागरिक या इकाइयां शामिल हैं, जो भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर विदेशी कानून औरध्या अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों पर कानूनी मुद्दों पर सलाह, परामर्श चाहता है।

अध्याय–II

विदेशी वकील और विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण–भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए दायरा, शर्तें और सीमाएँ

3. विदेशी वकीलों या विदेशी विधि फर्मों का पंजीकरण और उसके लिए पात्रता मानदंड–

(1) किसी विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म को भारत में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इन नियमों के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकृत न हो। यह उन भारतीय अधिवक्ताओं और भारतीय लॉ फर्मों पर लागू होता है जो नीचे लागू नियमों के अनुसार विदेशी वकील और विदेशी लॉ फर्म के रूप में पंजीकरण चाहते हैं।

बशर्ते कि यह प्रतिषेध किसी विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म द्वारा "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" आधार पर संचालित विधि व्यवसाय पर लागू नहीं होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें हों:–

(क) ऐसा अभ्यास भारत में ग्राहकों को विदेशी कानून, विदेशी वकील की अपनी कानूनी प्रणाली या विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों के संबंध में कानूनी सलाह प्रदान करने तक ही सीमित है, और इसे भारतीय कानून के तहत परिभाषित "अभ्यास" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(ख) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म की नियुक्ति या विशेषज्ञता ग्राहक द्वारा विदेश या भारत में प्राप्त की जानी चाहिए।

(ग) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को ऐसे कानूनी अभ्यास के उद्देश्य से भारत में कोई कार्यालय, बुनियादी ढांचा या नियमित उपस्थिति स्थापित, संचालित या बनाए नहीं रखना चाहिए।

(घ) भारत में इस तरह की प्रैक्टिस की कुल अवधि किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 60 दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसकी गणना भारत में आगमन के पहले दिन से शुरू होगी। 12 महीने की अवधि के भीतर उपस्थिति के सभी बाद के दिनों को क्रमिक रूप से गिना जाएगा, चाहे भारत में कोई अंतरिम प्रस्थान और पुनः प्रवेश हो।

(ड़) यदि इस बात पर कोई विवाद हो कि क्या विदेशी वकील की गतिविधियां भारतीय कानून के तहत स्वीकार्य "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" प्रैक्टिस के रूप में योग्य हैं या निषिद्ध "प्रैक्टिस" हैं, तो मामले का निर्धारण भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(च) पंजीकृत विदेशी वकीलों और पंजीकृत विदेशी कानूनी फर्मों पर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लागू होने वाले सभी नियम और विनियम भी लागू होंगे, जिनमें विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों पर आचार संहिता की प्रयोज्यता का विस्तार करना भी शामिल है, भी लागू होंगे। विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" प्रैक्टिस में संलग्न होने की अनुमति नहीं है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इन नियमों के तहत स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।

(2) इन नियमों के तहत भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए प्राथमिक योग्यता "प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश" में कानून का अभ्यास करने का अधिकार होगी। इसके अलावा, यदि विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म (भारतीय वकील या भारतीय–विदेशी कानून फर्म सहित जो विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण/पंजीकरण की मांग कर रहे हैं) अन्य अधिकार क्षेत्रों और/या अंतरराष्ट्रीय कानून के विदेशी कानून का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनके पास उन संबंधित अधिकार क्षेत्र और कानून के क्षेत्रों में अभ्यास करने के लिए अपेक्षित योग्यता और प्राधिकरण होना चाहिए।

अध्याय–III

पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण का नवीनीकरण, तथा विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के रूप में भारत में कानून अभ्यास से जुड़नेः–

4. पंजीकरण के लिए आवेदन

कोई विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म, जिसमें भारतीय वकील या भारतीय–विदेशी विधि फर्म शामिल हैं, जो विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म के रूप में पंजीकरण चाहते हैं/पंजीकृत होना चाहते हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क और गारंटी राशि के साथ इन नियमों के साथ संलग्न "फॉर्म ए" में पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से या डाक, कूरियर आदि के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन और शुल्क आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, स्विफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी) आदि के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

ऐसे आवेदन के साथ गैर–वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क भी संलग्न करना होगा, जो कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है। यह आवेदन भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नामित अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिएः

(क) भारत सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा विदेश एवं व्यापार मंत्रालय) या इस संबंध में संघ सरकार द्वारा

प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी से प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि प्रभावी कानूनी प्रावधान लागू है। प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश में और अन्य विदेशी देशों में जिनके कानूनों का आवेदक अभ्यास करना चाहता है, में प्रणाली मौजूद है और आवेदक को इन नियमों के तहत पंजीकृत होने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, जहाँ आवश्यक समझे, विदेशी देशों के विभागों या मंत्रालयों से जानकारी माँग सकती है और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी सरकार या प्राधिकरण से सीधे संवाद भी कर सकती है।

(ख) विदेशी क्षेत्राधिकार(यों) को निर्दिष्ट करने वाला एक विस्तृत विवरण जिसमें विदेशी वकील और/या विदेशी कानूनी फर्म, विदेशी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रों सहित अभ्यास करने का इरादा रखते हैं।

(ग) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र तथा उन सभी विदेशी देशों के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र, जिनके कानूनों के तहत आवेदक अभ्यास करना चाहता है, यह प्रमाणित करते हुए कि आवेदक उन देशों में कानून का अभ्यास करने का हकदार है।

(घ) प्राथमिक योग्यता वाले विदेशी देश की सरकार से तथा उन सभी विदेशी देशों से जिनके कानूनों के तहत आवेदक अभ्यास करना चाहता है, या उनके सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित अधिवक्ताओं को इन नियमों के तहत अनुमत विधि अभ्यास के समतुल्य तरीके और सीमा तक साथ ही प्रासंगिक कानूनों और नियमों की प्रतियां भी उन देशों में विधि अभ्यास करने की अनुमति है।

(ड़) संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक योग्यता का प्रमाण पत्र, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय, बार एसोसिएशन, विधिज्ञ परिषद् आदि से प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक उस देश में प्रैक्टिस कर रहा है। (भारतीय अधिवक्ताओं या भारतीय लॉ फर्मों के लिए लागू नहीं है जो विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्मों के रूप में पंजीकरण चाहते हैं।)

(च) संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक योग्यता का प्रमाण–पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके समक्ष या ऐसी कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष पेशेवर या अन्य कदाचार की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। (भारतीय अधिवक्ताओं या भारतीय विधि फर्मों के लिए लागू नहीं है जो विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्मों के रूप में पंजीकरण चाहते हैं।)

(छ) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेशी देश और उन सभी विदेशी देशों के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र, जिनके कानूनों के तहत आवेदक अभ्यास करना चाहता है, जिसमें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित अधिवक्ता से ली जाने वाली फीस संरचना और अन्य राशियों का विवरण दिया गया हो, ताकि वे उन देशों में कानून का अभ्यास करने में सक्षम हो सकें, साथ ही प्रासंगिक नियम और कानून भी दिए गए हों।

(ज) संबंधित विदेशी देश के प्राथमिक योग्यता वाले सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक के भारत में कानून का अभ्यास करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है तथा यह पुष्टि की गई हो कि आवेदक की बार में अच्छी स्थिति है। (विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय अधिवक्ताओं या भारतीय कानून फर्मों के लिए लागू नहीं।)

(झ) हलफनामे पर एक घोषणा जिसमें कहा गया हो कि आवेदक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और किसी भी अनुशासनात्मक मामले में उसे किसी भी प्रतिकूल आदेश के अधीन नहीं किया गया है। (यदि आवेदक को दोषी ठहराया गया है या किसी प्रतिकूल आदेश के अधीन किया गया है, तो संबंधित सत्यापित दोषसिद्धि/प्रतिकूल आदेश की प्रतियां, अन्य संबंधित दस्तावेजों जैसे कि अपील और स्थगन, यदि कोई हो, या सजा/भोगी गई/भुगतान की गई जुर्माना का विवरण संलग्न किया जाना चाहिए)।

(ञ) शपथपत्र पर घोषणा जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है तथा वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा, जैसा वह उचित समझे, आवेदन में आवेदक द्वारा प्रकट किए गए विवरणों की सत्यता तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच करने के लिए, स्वयं अथवा ऐसी सरकारी या गैर–सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से, जैसा वह उचित समझे, जांच या पूछताछ करने पर सहमति देता है।

(ट) शपथ पर एक वचनबद्धता जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक किसी भी रूप में भारतीय कानून का अभ्यास नहीं करेगा या किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, बोर्ड या शपथ पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से हकदार किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। (भारतीय अधिवक्ताओं या भारतीय कानून फर्मों के लिए लागू नहीं है जो विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकरण चाहते हैं।)

(ठ) विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी का विवरण, जिसमें विदेशी वकीलों या भारतीय–विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों या भारतीय कानून फर्मों के साथ साझेदारी शामिल है, जिसमें ऐसे सहयोग की शर्तें भी शामिल हैं। इन नियमों के तहत विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाले भारतीय वकील या कानून फर्म केवल संदर्भित कार्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक साझेदारी में प्रवेश नहीं करेंगे।

(ड) शपथ पर एक घोषणा जिसमें कहा गया हो कि आवेदक इन नियमों के तहत पंजीकरण के समय भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पास जमा की गई गारंटी राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा और न ही दावा करेगा, और यह कि विधिज्ञ परिषद् इन नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय बार परिषद द्वारा दिए जाने वाले दंड और लागतों के लिए इस गारंटी राशि को समायोजित करने और लागू करने का हकदार होगा।

(ढ) शपथ पर घोषणा जिसमें कहा गया हो कि आवेदक पूरी तरह से समझता है और स्वीकार करता है कि इन नियमों के तहत पंजीकरण के समय, बनाए गए नियम, यथाव''यक परिवर्तनों सहित, भारत मे उनके अभ्यास के संबंध में उन पर लागू होते हैं, और वे ऐसे अभ्यास के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

(ण) विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी का ब्यौरा, जिसमें विदेशी वकीलों या भारतीय–विदेशी कानूनी फर्मों के रूप में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों या भारतीय कानूनी फर्मों के साथ साझेदारी भी शामिल है, जिसमें ऐसे सहयोग की शर्तें भी शामिल हैं।

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों से अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता

(त) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र, साथ ही न्यूनतम पांच वर्षों तक सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण।

(थ) संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रतिकूल व्यावसायिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति की पुष्टि हो।

(द) विदेशी क्षेत्राधिकार(यों) को निर्दिष्ट करने वाला एक विस्तृत विवरण जिसमें विदेशी वकील और विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण चाहने वाला भारतीय वकील या भारतीय कानून फर्म विदेशी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रों सहित अभ्यास करना चाहता है।

(ध) पारस्परिक व्यवहार का प्रमाण, जो पुष्टि करता है कि भारतीय वकीलों या कानूनी फर्मों को तुलनीय परिस्थितियों में लक्ष्यित विदेशी क्षेत्राधिकार में अभ्यास करने की अनुमति है।

(न) संबंधित विदेशी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र, जो भारतीय वकील या फर्म को वहां कानून का अभ्यास करने की अनुमति देता है।

(प) विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी का ब्यौरा, जिसमें ऐसे सहयोग की शर्तें भी शामिल हैं।

(फ) पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में अभ्यास करने वाले भारतीय वकीलों या कानूनी फर्मों पर लागू शुल्क संरचनाओं का दस्तावेजीकरण।

(ब) विदेशी क्षेत्राधिकार में नैतिक और व्यावसायिक आचरण मानदंडों के पालन के साथ–साथ लागू विदेशी कानूनों और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन।

(भ) किसी भी पूर्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुपस्थिति की घोषणा करने वाला शपथपत्र या यदि लागू हो तो विवरण प्रदान करना।

(म) शपथपत्र पर एक घोषणा जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक विदेशी प्रैक्टिस को गैर–मुकदमेबाजी वाली कानूनी सेवाओं तक सीमित रखेगा, जब तक कि अन्यथा प्राधिकृत न किया जाए।

पंजीकरण की वैधता और पंजीकरण का नवीनीकरण

5. पंजीकरण की वैधता और पंजीकरण का नवीनीकरण

(1) इन नियमों के तहत दिया गया पंजीकरण केवल पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकृत भारतीय वकीलों या भारतीय कानून फर्मों और इन नियमों के तहत पंजीकृत विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों को ऐसी वैधता की समाप्ति से छह महीने पहले "फॉर्म बी" में नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करके अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करना होगा।

(2) नवीकरण आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न "प्रपत्र बी" में नवीकरण शुल्क के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक, कूरियर अथवा ऑनलाइन, जैसा भी उपलब्ध हो, प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) नवीकरण के लिए यह आवेदन भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नामित अधिकारी को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे:

विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों से नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

(क) भारत सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा विदेश एवं व्यापार मंत्रालय) या इस संबंध में प्राधिकृत ऐसे अन्य प्राधिकारी या अधिकारी से एक प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक की प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेशी देश तथा अन्य देशों, जिनके कानूनों के अनुसार आवेदक कार्य करता है, में प्रभावी कानूनी प्रणाली विद्यमान है, तथा आवेदक के पंजीकरण के नवीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) विदेशी क्षेत्राधिकार(यों) को निर्दिष्ट करने वाला एक विस्तृत विवरण जिसमें विदेशी वकील और/या विदेशी कानूनी फर्म विदेशी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रों सहित अभ्यास जारी रखने का इरादा रखते हैं।

(ग) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र तथा सभी अन्य विदेशी देश जिनके कानून आवेदक के लिए मान्य हैं।

यह प्रमाणित करते हुए कि आवेदक इन नियमों के तहत प्रारंभिक पंजीकरण के बाद से उन देशों में कानून का अभ्यास करने का हकदार बना हुआ है।

(घ) प्राथमिक योग्यता वाले विदेशी देश की सरकार या उसके सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ताओं को इन नियमों के अंतर्गत अनुमत

विधि अभ्यास के समतुल्य तरीके और सीमा तक उन देशों में विधि अभ्यास करने की अनुमति जारी रहेगी, साथ ही प्रासंगिक कानूनों और नियमों की प्रतियां भी।

(ड़) संबंधित विदेशी देश के प्राथमिक योग्यता के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि इन नियमों के तहत प्रारंभिक पंजीकरण के बाद से उसके समक्ष या ऐसी कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई व्यावसायिक या अन्य कदाचार की कार्यवाही दायर या लंबित नहीं है।

(च) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उसे आवेदक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत भारत में कानून का अभ्यास जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(छ) शपथ–पत्र पर घोषणा कि आवेदक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और इन नियमों के तहत पंजीकरण के बाद किसी भी अनुशासनात्मक मामले में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं मिला है। किसी भी दोषसिद्धि या प्रतिकूल आदेश के मामले में, संबंधित आदेश की सत्यापित प्रतियों के साथ–साथ मामले से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, जिसमें दायर की गई किसी भी अपील, दी गई रोक या लगाई गई सजा या भुगतान किए गए जुर्माने का विवरण शामिल है, संलग्न किया जाना चाहिए।

(ज) शपथपत्र पर घोषणा जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है तथा वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् को, जैसा वह उचित समझे, नवीकरण के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा प्रकट किए गए विवरणों की सत्यता तथा संलग्न दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए, स्वयं अथवा सरकारी या गैर–सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से पूछताछ करने तथा जांच करने की सहमति देता है।

(झ) पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक के विदेशी क्षेत्राधिकार में अभ्यास करने वाले भारतीय वकीलों या कानूनी फर्मों पर लागू शुल्क संरचनाओं का दस्तावेजीकरण।

(ञ) भारतीय और विदेशी दोनों अधिकार क्षेत्रों में नैतिक और व्यावसायिक आचरण मानदंडों के पालन के साथ–साथ लागू विदेशी कानूनों और भारतीय बार काउंसिल के नियमों का पालन करने का वचन।

(त) विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी का विवरण, जिसमें इन नियमों के तहत विदेशी वकीलों या भारतीय–विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकृत भारतीय वकीलों या भारतीय कानून फर्मों के साथ साझेदारी शामिल है, साथ ही ऐसे सहयोग की शर्तें भी। इन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले भारतीय वकील या भारतीय कानून फर्म केवल संदर्भित कार्य प्राप्त करना जारी रख सकते हैं, लेकिन औपचारिक साझेदारी में प्रवेश नहीं करेंगे।

विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के रूप में पंजीकृत भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों से नवीनीकरण दस्तावेज आवश्यक हैं

(थ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र, साथ ही पिछले पांच वर्षों से सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण।

(द) संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रतिकूल व्यावसायिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई हो।

(ध) पारस्परिक व्यवहार का प्रमाण, जो यह पुष्टि करता है कि भारतीय वकीलों या कानूनी फर्मों को भारत में विदेशी वकीलों या कानूनी फर्मों को दी जाने वाली शर्तों के समतुल्य शर्तों के अधीन लक्षित विदेशी क्षेत्राधिकार में अभ्यास जारी रखने की अनुमति है।

(न) संबंधित विदेशी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र, जो भारतीय वकील या कानूनी फर्म को उस क्षेत्राधिकार में कानून का अभ्यास जारी रखने की अनुमति देता है।

(प) विदेशी क्षेत्राधिकार में नैतिक मानदंडों के पालन के साथ–साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन।

(फ) किसी भी पूर्व अनुशासनात्मक कार्रवाई या दोषसिद्धि की अनुपस्थिति की घोषणा करने वाला हलफनामा। पूर्व अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में, प्रासंगिक आदेशों, अपीलों और परिणामों की प्रतियों सहित विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए।

(ब) शपथपत्र पर एक घोषणा जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक अपनी विदेशी प्रैक्टिस को गैर–मुकदमेबाजी वाली कानूनी सेवाओं तक सीमित रखेगा, जब तक कि अन्यथा प्राधिकृत न किया जाए।

(4) भारतीय विधिज्ञ परिषद् किसी विदेशी वकील, विदेशी विधि फर्म, भारतीय वकील या भारतीय विधि फर्म के पंजीकरण को नवीनीकृत करने से इंकार कर सकती है, यदि उसकी राय में, भारत में पंजीकृत विदेशी वकीलों या विदेशी विधि फर्मों की संख्या, संबंधित विदेशी देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमति प्राप्त भारतीय वकीलों या विधि फर्मों की संख्या से अनुपातहीन हो जाती है।

(5) संतुलन बनाए रखने, पूर्ण पारस्परिकता सुनिश्चित करने और भारतीय वकीलों या विधि फर्मों के हितों की रक्षा करने के लिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् नवीनीकरण की संख्या को सीमित कर सकती है या नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकती है।

6. पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क एवं गारंटी राशिः–

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बाद, भारतीय विधिज्ञ परिषद् या इस उद्देश्य के लिए काउंसिल द्वारा गठित समिति, आवेदन की जांच करेगी, और इसकी सामग्री और आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में जांच करेगी। काउंसिल संबंधित विदेशी देश या देशों के साथ पारस्परिकता के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रासंगिक कानूनों, नियमों और प्रथाओं की भी जांच करेगी और ऐसी जांच और जांच के बाद, यदि आवेदन पंजीकरण के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो काउंसिल एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(ख) परिषद ऐसे पंजीकरण के तुरंत बाद भारत सरकार को (विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से) सूचित करेगी और ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी भेजेगी।

(ग) पंजीकरण के मामले में, नामित अधिवक्ता अर्थात वरिष्ठ अधिवक्ता (संबंधित विदेशी देश में वे जिस भी पद या पदनाम से हों), ऐसे अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत उल्लिखित वरिष्ठ या नामित अधिवक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के समान वरीयता दी जाएगी।

(घ) पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ पंजीकरण या नवीनीकरण शुल्क अवश्य होना चाहिए। यह शुल्क प्राथमिक योग्यता के विदेशी देश में पंजीकरण या कानून का अभ्यास करने की अनुमति के लिए अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता पर लगाए गए शुल्क और अन्य शुल्कों के बराबर होगा। हालाँकि, यदि समतुल्य शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से कम है, तो अनुसूची के अनुसार शुल्क लागू होगा। इसके विपरीत, यदि समतुल्य शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो उच्च समतुल्य शुल्क लागू होगा। अनुसूची को समय–समय पर अद्यतन या संशोधित किया जा सकता है।

(ड़) विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म को सुरक्षा जमा तब वापस किया जाएगा जब वह भारत में विदेशी लॉ प्रैक्टिस स्वेच्छा से समाप्त कर देता है या जब उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है या जब उसका पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है, लेकिन भारतीय विधिज्ञ परिषद् इन नियमों के तहत उस पर लगाए गए जुर्माने और लागत के बराबर रकम को इस सुरक्षा जमा से समायोजित करने और कटौती करने का हकदार होगा, अगर वह भुगतान करने में चूक जाता है। विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म को भारत में विदेशी लॉ की अपनी प्रैक्टिस स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने, उनके पंजीकरण की समाप्ति पर, या उनके पंजीकरण के स्थायी रूप से रद्द होने की स्थिति में सुरक्षा जमा वापस किया जाएगा। हालांकि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् इनके तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने या लागत के बराबर राशि को सुरक्षा जमा से समायोजित करने और कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

(च) सुरक्षा जमा को भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा एक अलग शीर्ष खाते के अंतर्गत बनाए रखा जाएगा, और इस पर अर्जित ब्याज का उपयोग इन नियमों के उचित कार्यान्वयन और प्रबंधन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

7. पंजीकरण एवं नवीकरण हेतु आवेदनों का निपटानः–

भारतीय विधिज्ञ परिषद् इन नियमों के अंतर्गत पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए दायर आवेदन को अनुमोदित कर सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदन सभी हितधारकों द्वारा समर्थित है प्रासंगिक दस्तावेज, इन नियमों के तहत आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता है और आवेदक किसी भी आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन नहीं है जो आवेदक को इन नियमों के तहत भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए अनुपयुक्त बना देगा। इसके

अतिरिक्त, आवेदक की प्राथमिक योग्यता के देश को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित वकीलों को उस देश में इन नियमों के तहत अनुमत अभ्यास के बराबर तरीके से और सीमा तक कानून का अभ्यास करने की अनुमति देनी चाहिए, पारस्परिकता के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। पारस्परिकता के सिद्धांत में भारतीय विधिज्ञ परिषद् का यह सत्यापित करने का अधिकार भी शामिल होगा कि भारतीय वकीलों या भारतीय लॉ फर्मों को आवेदक के प्राथमिक योग्यता के देश में अनुचित भेदभाव या समान विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।

हालाँकि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि आवेदक अधिवक्ता या लॉ फर्म को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो। पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, आवेदक द्वारा जमा की गई पंजीकरण फीस/नवीनीकरण फीस/गारंटी राशि को इन नियमों के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को समायोजित करने और घटाने के बाद या भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उचित समझे जाने वाले प्रशासनिक व्यय के रूप में उसे वापस कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् कानून और न्याय मंत्रालयों के माध्यम से भारत सरकार के साथ या किसी अन्य मंत्रालय के साथ परामर्श कर सकता है यदि किसी विशेष मामले में ऐसा आवश्यक समझा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक इन नियमों द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वर्तमान न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और/या केंद्रीय विदेश मंत्री या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री किसी अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता या न्यायविद की राय भी ले सकता है या भारतीय विधिज्ञ परिषद् किसी विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म या उनके अभ्यास के क्षेत्र(ओं) के पंजीकरण, नवीनीकरण या पंजीकरण को रद्द करने से संबंधित किसी भी मुद्दे पर मामले को कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के विकास के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सलाहकार बोर्ड के समक्ष रख सकता है, जिसे वह उचित और उचित समझे।

हालाँकि, इन सभी मामलों में भारतीय विधिज्ञ परिषद् अंतिम प्राधिकारी होगी।

बशर्ते कि उपर्युक्त पंजीकरण और उसका नवीकरण किसी भी तरह से विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को भारत में स्वतंत्र और अनियमित प्रवेश और रहने का अधिकार नहीं देगा, जिसके लिए वह भारतीय कानून और भारत सरकार, राज्य सरकारों, वैधानिक निकायों या भारत में किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए वैध आदेशोंधनिर्देशों द्वारा शासित रहेगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि भारत सरकार को किसी भी समय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर या यदि उसकी राय हो कि ऐसा पंजीकरण या नवीनीकरण राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, या किसी अन्य वैध आधार पर पूर्वोक्त पंजीकरण या नवीनीकरण को रद्द करने की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधि और न्याय मंत्रालय या संघ सरकार के किसी अन्य मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से संबंधित विदेशी देश/देशों में प्रभावी कानूनी प्रणाली के अस्तित्व के बारे में और उन देश/देशों में भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा कानून अभ्यास के मामले में किसी अनुचित भेदभाव के अस्तित्व के बारे में जानकारी मांग सकती है और भारतीय विधिज्ञ परिषद् पंजीकरण रद्द करने या पंजीकरण के नवीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है, यदि भारत सरकार उसके पूछने पर या अन्यथा प्रमाणित करती है कि संबंधित विदेशी देश/देशों में प्रभावी कानूनी प्रणाली अब मौजूद नहीं है और भारतीय वकीलों के साथ वहां अनुचित भेदभाव किया जा रहा है।

अध्याय-IV

विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों द्वारा कानूनी अभ्यास

8. विदेशी वकील और/या विदेशी लॉ फर्म द्वारा कानून का अभ्यास, इसकी प्रकृति और सीमाः–

(1) नियमों के तहत पंजीकृत कोई विदेशी वकील या लॉ फर्म भारत में केवल गैर–मुकदमेबाजी वाले मामलों में ही वकालत करने का हकदार होगा, बशर्ते कि इन नियमों के तहत निर्धारित अपवाद, शर्तें और सीमाएं हों। ऐसे वकील को धारा 29, 30 और 33 के अर्थ में अधिवक्ता माना जाएगा। अधिनियम के अनुसार ऐसे कार्य और कर्म जो विदेशी वकील के रूप में उसके द्वारा इन नियमों के तहत किए जाने की परिकल्पना या अनुमति है। हालाँकि, कोई विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय-V के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं होगा बल्कि ऐसी परिस्थिती में किसी भी मूल कदाचार के मामले में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ऐसे विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म का पंजीकरण रद्द कर सकता है।

(2) (क) भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों के लिए अभ्यास के क्षेत्र भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित और निर्धारित किए जाएंगे। यदि आवश्यक समझा जाए तो भारतीय बार परिषद इस संबंध में भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श कर सकती है।

(ख) विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को भारतीय अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने पर सख्त प्रतिबंध है, जब तक कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए या इन नियमों के तहत प्रावधान न किया गया हो।

(ग) विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को निम्नलिखित गतिविधियाँ करने से प्रतिबंधित किया गया है

(i) संपत्ति का हस्तांतरण, स्वामित्व जांच, या इसी तरह का कार्य।

(ii) भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या शपथ पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए सशक्त अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही के लिए दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, तैयार करना या दाखिल करना।

(घ) इन नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध निषिद्ध गतिविधियों को नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित दंड के माध्यम से लागू किया जा सकेगा, जिसमें पंजीकरण का निलंबन या रद्दीकरण भी शामिल है।

(ड.) भारत में किसी विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म द्वारा कानून का अभ्यास विदेशी कानून और/या अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित गैर–मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों तक सीमित होगा। अभ्यास के अनुमेय क्षेत्रों में शामिल हैं:–

(i) कॉर्पोरेट कानूनी मामलों जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करना और अन्य संबंधित लेन–देन संबंधी कार्य में संलग्न होना, बशर्ते कि ऐसा कार्य पारस्परिक आधार पर हो।

(ii) भारत में आयोजित संस्थागत और तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करना, बशर्ते कि ऐसा प्रतिनिधित्व इन नियमों या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन न करे। ऐसे मुवक्किलों में ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनियाँ, निगम, ट्रस्ट या सोसाइटी शामिल हो सकते हैं जिनका मुख्य कार्यालय या पता किसी विदेशी देश में हो। इन मध्यस्थता मामलों में विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या वकील के गृह देश के अलावा अन्य अधिकार क्षेत्र के कानून शामिल हो सकते हैं।

(iii) प्राथमिक योग्यता वाले अपने देश के कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्राथमिक योग्यता वाले देश के अलावा अन्य क्षेत्राधिकारों के विदेशी कानूनों के संबंध में कानूनी सलाह और राय प्रदान करना।

(iv) भारत में विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों द्वारा कानून का अभ्यास निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों को भी शामिल करेगा:

(अ) कानूनी सलाह प्रदान करना, लेनदेन का संचालन करना, तथा अपने प्राथमिक योग्यता वाले देश के कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य क्षेत्राधिकारों के विदेशी कानूनों पर राय देना।

(ब) भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करना। ऐसे ग्राहकों में व्यक्ति, फर्म, कंपनियाँ, निगम, ट्रस्ट या सोसाइटी शामिल हो सकते हैं जिनका मुख्य कार्यालय या पता किसी विदेशी देश में हो। इन मध्यस्थता मामलों में विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या इनका संयोजन शामिल हो सकता है।

(स) कानूनी विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करना, और वकील के रूप में उपस्थित होना

(i) ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य कार्यालय या पता उनकी प्राथमिक योग्यता के विदेशी देश या किसी अन्य विदेशी देश में हो।

(ii) किसी देश के विदेशी कानून और/या अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित सलाह या सहायता मांगने वाली संस्थाएं या व्यक्ति, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों या वैधानिक प्राधिकरणों के अलावा अन्य निकायों के समक्ष कार्यवाही में, जिन्हें शपथ पर साक्ष्य दर्ज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे कार्य में प्राथमिक योग्यता वाले देश के विदेशी कानून के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय कानून और शामिल अन्य अधिकार क्षेत्रों के विदेशी कानूनों का आवश्यक ज्ञान शामिल होना चाहिए।

(v) प्राथमिक योग्यता के अपने देश के कानूनों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय कानून और अन्य अधिकार क्षेत्रों के विदेशी कानूनों के संबंध में कानूनी विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करना। इसमें प्रतिनिधित्व या दस्तावेजों की तैयारी शामिल नहीं है। भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या शपथ पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए अधिकृत अन्य मंचों के समक्ष

प्रस्तुत करना, या प्रक्रियात्मक मामलों के संबंध में ऐसे मंचों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी याचिका, दस्तावेज या दलील की तैयारी करना।

(3) किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् में नामांकित भारतीय अधिवक्ता और इन नियमों के तहत भारत में पंजीकृत विदेशी कानून फर्मों में भागीदार या सहयोगी के रूप में काम कर रहे भारतीय अधिवक्ता विदेशी कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित सलाहकार कार्य सहित गैर–मुकदमेबाजी वाले मामलों में संलग्न हो सकते हैं। वे अपने संबंधित विदेशी कानून फर्मों द्वारा संदर्भित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मंचों या अंतरराष्ट्रीय कानून अदालतों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। ऐसे अधिवक्ता विदेशी कानून फर्मों के माध्यम से अभ्यास करते समय भारत में अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के आधार पर किसी भी अतिरिक्त अधिकार या विशेषाधिकार का दावा नहीं करेंगे। हालांकि, भारतीय अधिवक्ता और ऐसी कानून फर्मों में भागीदार, भारतीय अदालतों में कानून का अभ्यास करने के लिए अपने नामांकन अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनुसार, अपने संबंधित विदेशी कानून फर्मों द्वारा संदर्भित मामलों को उठा सकते हैं, बशर्ते ऐसे मामले भारतीय कानून और अधिवक्ता के अभ्यास के अनुमेय क्षेत्र के दायरे में आते हों।

(4) भारत में कानून का अभ्यास करने के इच्छुक विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को लागू नियमों और विनियमों के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकरण करना होगा और विदेशी योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें योग्यता की समतुल्यता, योग्यता परीक्षाएं और मुकदमेबाजी अभ्यास पर प्रतिबंध शामिल हैं।

(5) विदेशी वकील और विदेशी कानूनी फर्म बिना पंजीकरण के भारत में "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" आधार पर कानून का अभ्यास कर सकते हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः–

(i) ऐसा अभ्यास भारत में ग्राहकों को विदेशी कानून, विदेशी वकील की अपनी कानूनी प्रणाली या विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों के संबंध में कानूनी सलाह प्रदान करने तक ही सीमित है, और इसे भारतीय कानून के तहत परिभाषित ष्अभ्यासष् के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(ii) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म की नियुक्ति या विशेषज्ञता ग्राहक द्वारा विदेश या भारत में प्राप्त की जानी चाहिए।

(iii) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को ऐसे कानूनी अभ्यास के उद्देश्य से भारत में कोई कार्यालय, बुनियादी ढांचा या नियमित उपस्थिति स्थापित, संचालित या बनाए नहीं रखना चाहिए।

(iv) भारत में इस तरह के अभ्यास की कुल अवधि किसी भी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। 60–दिन की कुल अवधि की गणना भारत में आगमन के पहले दिन से शुरू होने वाले लगातार कैलेंडर दिनों के रूप में की जाएगी, चाहे 12 महीने की अवधि के दौरान कोई अंतरिम प्रस्थान और बाद में पुनः प्रवेश क्यों न हो।

(v) इसके अलावा, फॉर्म सी में फ्लाई–इन फ्लाई–आउट प्रैक्टिस की किसी भी घोषणा में कार्य की प्रकृति, शामिल कानूनी क्षेत्र, क्लाइंट विवरण और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि अभ्यास भारतीय कानून के अभ्यास का गठन किए बिना विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता पर कानूनी परामर्श तक सीमित है।

(vi) यदि इस बात पर कोई विवाद हो कि क्या विदेशी वकील की गतिविधियां भारतीय कानून के तहत स्वीकार्य "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" प्रैक्टिस के रूप में योग्य हैं या निषिद्ध "प्रैक्टिस" हैं, तो मामले का निर्धारण भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(vi) पंजीकृत विदेशी वकीलों और पंजीकृत विदेशी कानूनी फर्मों पर लागू होने वाले सभी नियम और विनियम, जिनमें उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता की प्रयोज्यता भी शामिल है, उन विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों पर भी लागू होंगे जो "फ्लाई–इन, फ्लाई–आउट" प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इन नियमों के तहत स्पष्ट रूप से छूट दी गई हो।

किसी भी विदेशी वकील या लॉ फर्म को भारत आने से पहले भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सूचित करना होगा और साथ ही अपने काम के विवरण और भारत में रहने की अवधि के बारे में भी सूचित करना होगा।

9. भारत में विधि कार्यालय खोलने, साझेदारी करने, भारत में विधि व्यवसाय के संबंध में अन्य विधिक विशेषज्ञता/सलाह प्राप्त करने आदि से संबंधित प्रासंगिक मामले।

एक पंजीकृत विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म भारत में कानून के अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने का हकदार होगाः–

(i) इन नियमों के नियम 8 में उल्लिखित अनुसार भारत में विधिक अभ्यास करने के लिए भारत में विधि कार्यालय या कार्यालय खोलना, बशर्ते कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् को ऐसे कार्यालय(ओं) के विवरण से अवगत रखा जाए, जिसमें डाक पता, उस संपत्ति के मालिक/पट्टेदार का नाम जहां कार्यालय(एँ) स्थित हैं और विदेशी वकील या विधि फर्म को उसमें रहने के लिए सक्षम और हकदार बनाने वाले दस्तावेज शामिल हों।

(ii) विदेशी वकीलों के रूप में पंजीकृत एक या एक से अधिक भारतीय अधिवक्ताओं और/या विदेशी लॉ फर्म के रूप में पंजीकृत भारतीय–विदेशी लॉ फर्म/फर्मों से कानूनी विशेषज्ञता/सलाह लेना और प्राप्त करना

(iii) भारतीय कानूनों से संबंधित किसी भी विषय पर भारत में किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता से कानूनी विशेषज्ञता/सलाह प्राप्त करना। हालाँकि, ऐसे पंजीकृत विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म इन नियमों के नियम 8 के प्रावधान के तहत उल्लिखित मामलों को छोड़कर किसी भी भारतीय न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक मंच के समक्ष उपस्थित होने के हकदार नहीं होंगे।

(iv) भारतीय वकील या भारतीय कानून फर्म विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों के साथ साझेदारी तभी कर सकते हैं जब वे इन नियमों के तहत विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकृत हों। हालाँकि, भारतीय वकील और भारतीय कानून फर्म इन नियमों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता के बिना विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों से संदर्भित कार्य प्राप्त कर सकते हैं।

(v) विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म भारतीय कानून से संबंधित सलाह और परामर्श के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित भारतीय वकीलों को नियुक्त कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसी नियुक्ति भारतीय वकीलों को विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों की ओर से भारतीय अदालतों, न्यायाधिकरणों या वैधानिक प्राधिकरणों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं देती है, जब तक कि वे अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य न करें।

(vi) भारतीय वकील इन नियमों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता के बिना विदेश में विदेशी कानून फर्मों में कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। विदेशी कानून फर्मों में भागीदारी की स्थिति संबंधित विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों द्वारा शासित होगी।

अध्याय-V

अनुशासनात्मक मुद्दे और दंड

10. अनुशासनात्मक मुद्दे

(1) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म से संबद्ध वकील सामान्यतः अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित उन्हीं नैतिक और व्यवहार मानकों के अधीन होगा, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ता हैं।

(2) जहां, शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पास यह मानने का कारण है कि इन नियमों के तहत पंजीकृत कोई विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म भारत में कानून अभ्यास के संबंध में पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है, या उसने किसी भी तरीके से इन नियमों के नियमों, शर्तों और/या प्रावधानों का उल्लंघन किया है, परिषद इस मामले को संभालने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग निम्नानुसार करेगीः

(क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् पहले आरोपों की योग्यता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक जांच करेगी। इस जांच के दौरान, विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को अपना मामला पेश करने, सबूत पेश करने और आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। इस जांच का उद्देश्य यह स्थापित करना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया कदाचार या उल्लंघन का कोई मामला मौजूद है जिसके लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है।

(i) यदि बीसीआई ऐसी जांच के बाद यह निर्धारित करती है कि कदाचार या उल्लंघन मामूली या तकनीकी प्रकृति का है, तो वह मामले को आगे भेजे बिना, चेतावनी जारी कर सकती है, फटकार लगा सकती है या उचित समझे जाने पर जुर्माना लगा सकती है।

(ii) यदि बीसीआई पाता है कि कदाचार या उल्लंघन प्रकृति में काफी बड़ा या गंभीर है, जो नैतिक या पेशेवर मानकों का गंभीर उल्लंघन दर्शाता है, तो वह उचित समझे जाने पर जुर्माना लगा सकता है, और/या विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म के पंजीकरण को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(ख) दंड या निलंबन लगाने के बाद, बी.सी.आई. मामले को आगे की जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी देश के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज सकता है। बी.सी.आई. जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्यवाही की प्रगति और परिणाम की निगरानी भी करेगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां कदाचार या उल्लंघन गंभीर है और रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, बीसीआई प्रारंभिक सुनवाई के बाद उचित समझे जाने पर जुर्माना लगा सकता है और अंतरिम आधार पर विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म के पंजीकरण को सीधे निलंबित कर सकता है। मामले की रिपोर्ट, की गई कार्रवाई के विवरण के साथ, विदेश मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जाएगी।

(घ) बीसीआई को उन मामलों में पंजीकरण रद्द करने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वतंत्र रूप से समाप्त करने का अधिकार होगा, जहां यह निर्धारित होता है कि कदाचार या उल्लंघन ऐसी कार्रवाई को उचित ठहराता है।

(ड़) बी.सी.आई. द्वारा लगाए गए अनुशासनात्मक उपायों के अतिरिक्त, मामले को संबंधित विदेशी देश के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को, जहां लागू हो, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जा सकता है।

(च) बीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के तहत सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाए। जांच का नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।

11. गलत बयानी, धोखाधड़ी आदि द्वारा पंजीकरण प्राप्त करने के परिणाम

यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद् भारत सरकार, किसी व्यक्ति या अन्य द्वारा की गई शिकायत पर संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति या विधि फर्म ने किसी आवश्यक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, धोखाधड़ी करके या अनुचित प्रभाव डालकर विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म के रूप में पंजीकरण या पंजीकरण का नवीनीकरण प्राप्त किया है, तो वह उस व्यक्ति या संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उचित कार्रवाई कर सकती है। इस नियम के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उचित, आनुपातिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की जाएगीः–

(क) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म का पंजीकरण या नवीनीकरण दंड सहित या उसके बिना रद्द करना।

(ख) यदि आरोपों में तथ्य का अभाव पाया जाता है, तो शिकायत खारिज कर दी जाएगी या कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।

(ग) कदाचार के लिए विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को फटकार लगाएं।

(घ) विदेशी वकील या विदेशी विधि फर्म का पंजीकरण ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकती है, जिसे परिषद उचित समझे।

(ड.) परिषद द्वारा निर्धारित उचित राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाना।

(च) कार्यवाही के लिए विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म पर लागत लगाना।

(छ) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित करना, जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ज) नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया जाएगा।

(झ) यदि धोखाधड़ी या गलत बयानी में आपराधिक इरादा शामिल है तो प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही की सिफारिश करें।

(ञ) विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म को प्रभावित ग्राहकों या पक्षों को, यदि लागू हो और उचित हो, मुआवजा देने का निर्देश देना।

अध्याय–VI

12. नियामक प्राधिकरणः–

भारतीय विधिज्ञ परिषद् को समय–समय पर ऐसे निर्देश और नियम जारी करने का अधिकार होगा, जो इन नियमों के उचित कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए आवश्यक हों। भारतीय विधिज्ञ परिषद् भारत सरकार (कानून और न्याय मंत्रालय औरध्या विदेश मंत्रालय या यदि आवश्यक हो तो गृह मंत्रालय या भारत सरकार का कोई अन्य मंत्रालय) के परामर्श से विभिन्न विदेशी देशों में कानूनी पेशे के नियमन में अपने समकक्षों यानी वैधानिक प्राधिकरणों के साथ विचार–विमर्श और परामर्श कर सकती है। ये परामर्श पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित होंगे जिसका उद्देश्य भारत में कानूनी पेशे को बढ़ावा देना और मजबूत करना और वैश्वीकरण के साथ तालमेल रखना है। इसका उद्देश्य कानूनी पेशे के लिए एक जीवंत और प्रभावी ढांचा प्रदान करना है जो विभिन्न धर्मों, आस्थाओं और व्यक्तिगत कानूनों के साथ–साथ एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने वाले लोगों की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा कर सके भारतीय विधिज्ञ परिषद् विदेश में भारतीय वकीलों और लॉ फर्मों के साथ व्यवहार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

किसी भी विदेशी वकील या लॉ फर्म का पंजीकरण किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, यदि किसी स्रोत के माध्यम से परिषद के संज्ञान में यह बात आती है कि भारतीय वकीलों या भारतीय लॉ फर्मों के साथ संबंधित समकक्ष विदेशी देश द्वारा किसी भी तरह से भेदभाव किया जा रहा है। पंजीकरण को रद्द करने का ऐसा कदम संबंधित विदेशी वकील, विदेशी लॉ फर्म या संबंधित विदेशी सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के बाद ही उठाया जाएगा।

13. कठिनाइयों का निवारणः–

इन नियमों के अर्थ, व्याख्या या निष्पादन के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ऐसे सभी विवादों को हल करने और निपटाने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगी और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

विदेशी वकीलां और विदेशी कानून फर्मों के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा शुल्क की अनुसूची

1. पंजीकरण शुल्कः–

i. व्यक्तिगत विदेशी वकीलः15,000 अमेरिकी डॉलर या विदेशी वकील के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में समतुल्य शुल्क, जो भी अधिक हो।

ii. विदेशी कानूनी फर्म (साझेदारी, एलएलपी या निगमों सहित)रू 25,000 अमेरिकी डॉलर या विदेशी फर्म के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में समतुल्य शुल्क, जो भी अधिक हो।

iii. एकाधिक विदेशी क्षेत्राधिकारों के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्करू

– व्यक्तिगत विदेशी वकीलों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 5,000 अमेरिकी डॉलर।

– विदेशी कानूनी फर्मों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 10,000 अमेरिकी डॉलर।

2. नवीकरण शुल्क (प्रत्येक पांच वर्ष में):

i. व्यक्तिगत विदेशी वकीलः 8,000 अमेरिकी डॉलर या विदेशी वकील के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में समतुल्य शुल्क, जो भी अधिक हो।

ii. विदेशी कानूनी फर्म 15,000 अमेरिकी डॉलर या विदेशी फर्म के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में समतुल्य शुल्क, जो भी अधिक हो।

iii. एकाधिक क्षेत्राधिकारों के लिए नवीकरण शुल्कः

– व्यक्तिगत विदेशी वकीलों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 2,000 अमेरिकी डॉलर।

– विदेशी कानूनी फर्मों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 5,000 अमेरिकी डॉलर।

3. फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा शुल्क

i. व्यक्तिगत विदेशी वकील प्रति घोषणा 3,000 अमेरिकी डॉलर।

ii. विदेशी कानूनी फर्म प्रति घोषणा 6,000 अमेरिकी डॉलर।

iii. अतिरिक्त क्षेत्राधिकारः

– व्यक्तिगत विदेशी वकीलों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 1,000 अमेरिकी डॉलर।

– विदेशी कानूनी फर्मों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 2,000 अमेरिकी डॉलर।

4. फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा का नवीनीकरणः

i. व्यक्तिगत विदेशी वकील प्रति नवीकरण 1,500 अमेरिकी डॉलर।

ii. विदेशी कानूनी फर्म प्रति नवीकरण 3,000 अमेरिकी डॉलर।

iii. अतिरिक्त क्षेत्राधिकारः

– व्यक्तिगत विदेशी वकीलों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 500 अमेरिकी डॉलर।

– विदेशी कानूनी फर्मों के लिए प्रति क्षेत्राधिकार 1,000 अमेरिकी डॉलर।

नोटः किसी भी विवाद या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजो संस्करण का संदर्भ लिया जाएगा।

सेवा में,
प्रधान सचिव/संबंधित
भारतीय विधिज्ञ परिषद्
नई दिल्ली

फॉर्म–ए

भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन।

1. आवेदक की जानकारी:

(i) आवेदक का पूरा नाम (व्यक्तिगत वकील या लॉ फर्म का नाम):

(ii) आवेदक का प्रकार:

(a) व्यक्तिगत विदेशी वकील

(b) विदेशी लॉ फर्म

(c) भारतीय वकील विदेशी वकील के रूप में पंजीकरण की मांग कर रहा है

(d) भारतीय लॉ फर्म द्वारा विदेशी लॉ फर्म के रूप में पंजीकरण की मांग

(iii) योग्यता/पंजीकरण का प्राथमिक क्षेत्राधिकार:

(iv) योग्यता/पंजीकरण के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार (यदि कोई हो):

(v) प्रधान कार्यालय का पता (गृह देश में):

(vi) भारत में प्रस्तावित कार्यालय का पता (यदि लागू हो):

(vii) संपर्क विवरण:

(a) फोन:

(b) ईमेल:

(c) वेबसाइट:

(viii) कानूनी इकाई प्रकार (फर्मों के लिए):

साझेदारी/एलएलपी/निगम/अन्य (निर्दिष्ट करें)

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए अतिरिक्त विवरण:

(ix) राज्य विधिज्ञ परिषद् नामांकन (भारतीय अधिवक्ताओं के लिए):

(x) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामांकन संख्या:

(xi) भारत में सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण (न्यूनतम 5 वर्ष): (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

2. विदेशी क्षेत्राधिकार में कानून का अभ्यास करने के लिए प्राधिकरण का विवरण:

(i) प्राथमिक क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण/प्राधिकरण का प्रमाणपत्र: (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ii) अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र (यदि कोई हो): (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

(iii) गृह क्षेत्राधिकार में कानूनी अभ्यास की अनुमति: मुकदमेबाजी/गैर–मुकदमेबाजी/दोनों

(iv) गृह क्षेत्राधिकार में सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण: (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

विदेशी पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(v) विदेशी क्षेत्राधिकार में पारस्परिक व्यवहार का प्रमाणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(vi) सक्षम विदेशी प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्रः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. भारत में प्रस्तावित प्रैक्टिस का विवरणः

(i) भारत में प्रस्तावित कानूनी अभ्यास की प्रकृतिः गैर–मुकदमेबाजी/अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता / विदेशी कानून सलाहकार / अंतर्राष्ट्रीय कानून परामर्श

(i) इच्छित अभ्यास के विशिष्ट क्षेत्रः

(a) कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून

(b) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

(c) बौद्धिक संपदा

(d) संयुक्त विलय

(e) अन्य (निर्दिष्ट करें)

(iii) भारत में प्रैक्टिस की इच्छित अवधिः अस्थायी/स्थायी

(iv) भारत में प्रस्तावित कार्यालय स्थान (यदि लागू हो):

4. साझेदारी और सहयोग का विवरणः

(i) भारतीय वकीलों या भारतीय कानूनी फर्मों के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी (यदि कोई हो): साझेदारी समझौते का विवरण प्रदान करें।

(ii) रेफरल व्यवस्था का विवरण (यदि कोई हो):

विदेशी पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों या भारतीय कानून फर्मों के लिए

(iii) विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों के साथ प्रस्तावित साझेदारी का विवरणः प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

5. अनुपालन एवं पारस्परिक व्यवहारः

(i) भारतीय वकीलों के साथ पारस्परिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए गृह क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्रः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ii) गृह क्षेत्राधिकार में भारतीय वकीलों के लिए लागू शुल्क संरचनाओं का विवरणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(iii) गृह क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी): (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

विदेशी पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिएः

(iv) लक्ष्य क्षेत्राधिकार में पारस्परिक प्रावधानों का विवरणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. नैतिक और व्यावसायिक अनुपालनः

(i) गृह क्षेत्राधिकार में कोई आपराधिक दोषसिद्धि या व्यावसायिक कदाचार न होने की घोषणाः (शपथपत्र संलग्न करें)

(ii) कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न होने की घोषणाः (शपथपत्र संलग्न करें)

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के विनियमों और आचार संहिता का पालन करने का वचनः (शपथ पत्र संलग्न करें)

(iv) भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा करने वाला शपथपत्रः

विदेशी पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिएः

(v) विदेशी क्षेत्राधिकार कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा करने वाला शपथपत्रः

7. वित्तीय आवश्यकताएँ:

(i) पंजीकरण शुल्क भुगतान विवरण: (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(ii) सुरक्षा जमा भुगतान विवरण: (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(iii) गैर–वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क भुगतान विवरण: (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

विदेशी पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(iv) विदेशी क्षेत्राधिकार में शुल्क संरचना का प्रमाण:

8. सहायक दस्तावेज चेकलिस्ट:

(i) गृह क्षेत्राधिकार में कानून का अभ्यास करने के लिए प्राधिकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति

(ii) अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(iii) गृह क्षेत्राधिकार में सक्रिय कानूनी अभ्यास का प्रमाण

(iv) गृह क्षेत्राधिकार से पारस्परिक व्यवहार का प्रमाण पत्र

(v) गृह क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

(vi) कोई आपराधिक दोषसिद्धि या अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने का शपथपत्र

(vii) भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा

(viii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों और आचार संहिता का पालन करने का वचन

(ix) प्रस्तावित या मौजूदा सहयोग और साझेदारी का विवरण

(x) पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान का प्रमाण

(xi) राज्य विधिज्ञ परिषद् नामांकन प्रमाणपत्र (विदेश में पंजीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों के लिए)

(xii) विदेशी क्षेत्राधिकार में भारतीय अधिवक्ताओं के लिए पारस्परिक व्यवहार का प्रमाण

9. घोषणाएँ और वचन:

(i) मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सटीक है।

(ii) मैं/हम प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किसी भी पूछताछ या सत्यापन के लिए सहमति देते हैं।

(iii) मैं/हम वचन देते हैं कि जब तक स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, मैं/हम भारतीय कानून का अभ्यास नहीं करेंगे अथवा भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे।

(iv) मैं/हम समझते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन न करने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

10. आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर:

(i) आवेदक का नाम (कानूनी फर्म के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता):

(ii) पदनाम (यदि लागू हो):

(iii) हस्ताक्षर:

(iv) दिनांक:

(v) स्थान:

11. केवल आधिकारिक उपयोग के लिए (भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा भरा जाएगा):

(i) आवेदन प्राप्ति की तिथि:

(ii) आवेदन संदर्भ संख्या:

(iii) सत्यापन स्थिति: स्वीकृत / अस्वीकृत

(iv) अनुमोदन/अस्वीकृति की तिथि:

(v) पंजीकरण संख्या (यदि स्वीकृत हो):

(vi) टिप्पणियाँ/शर्तें (यदि कोई हो):

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी:

(vii) नाम:

(viii) पदनाम:

(ix) हस्ताक्षर:

(x) सील:

12. प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देश:

(i) आवेदन सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और गैर–वापसीयोग्य प्रक्रिया शुल्क के लिए भुगतान रसीदें संलग्न की जानी चाहिए।

(iii) आवेदन व्यक्तिगत रूप से, कूरियर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, foreignregistration@barcouncilofindia.org ;या bci-foreign-register@gmail.com पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्दिष्ट ऑनलाइन लिंक/पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

सेवा में,
प्रधान सचिव/संबंधित
भारतीय विधिज्ञ परिषद्
नई दिल्ली

फॉर्म–बी

भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन।

1. आवेदक जानकारी (नवीनीकरण):

(i) आवेदक का पूरा नाम (व्यक्तिगत वकील या लॉ फर्म का नाम):

(ii) आवेदक का प्रकारः

(a) व्यक्तिगत विदेशी वकील

(b) विदेशी लॉ फर्म

(C) भारतीय वकील विदेशी वकील के रूप में नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं

(d) भारतीय लॉ फर्म द्वारा विदेशी लॉ फर्म के रूप में नवीनीकरण की मांग

(iii) योग्यता/पंजीकरण का प्राथमिक क्षेत्राधिकारः

(iv) योग्यता/पंजीकरण के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार (यदि कोई हो):

(v) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी पंजीकरण संख्याः

(vi) प्रधान कार्यालय का पता (गृह देश में):

(vii) भारत में मौजूदा कार्यालय का पता (यदि लागू हो):

(viii) संपर्क विवरणः

(a) फोनः

(b) ईमेलः

(c) वेबसाइटः

(ix) कानूनी इकाई प्रकार (फर्मों के लिए): साझेदारी/एलएलपी/निगम अन्य (निर्दिष्ट करें)

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए अतिरिक्त विवरणः

(x) राज्य विधिज्ञ परिषद् नामांकन (भारतीय अधिवक्ताओं के लिए):

(xi) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामांकन संख्याः

(xii) भारत में सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण (न्यूनतम 5 वर्ष): (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

2. विदेशी क्षेत्राधिकार में कानून का अभ्यास करने के लिए वर्तमान प्राधिकरण का विवरणः

(i) प्राथमिक क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण/प्राधिकरण का प्रमाणपत्रः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ii) अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र (यदि कोई हो): (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

(iii) गृह क्षेत्राधिकार में कानूनी अभ्यास की अनुमतिः मुकदमेबाजी/गैर–मुकदमेबाजी/दोनों

(iv) गृह क्षेत्राधिकार में सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण (पिछले पंजीकरण/नवीनीकरण के बाद से): (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(v) विदेशी क्षेत्राधिकार में पारस्परिक व्यवहार का प्रमाणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(vi) सक्षम विदेशी प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्रः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. भारत में निरंतर अभ्यास का विवरणः

(i) भारत में जारी कानूनी अभ्यास की प्रकृतिः गैर–मुकदमेबाजी/अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता/विदेशी कानून सलाहकार/अंतर्राष्ट्रीय कानून परामर्श

(ii) भारत में जारी अभ्यास के विशिष्ट क्षेत्रः

(a) कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून

(b) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

(c) बौद्धिक संपदा

(d) संयुक्त उद्यम और विलय

(e) अन्य (निर्दिष्ट करें)

(iii) भारत में निरंतर अभ्यास की अवधि (पिछले नवीनीकरण के बाद से):

(iv) भारत में कार्यालय स्थान (यदि लागू हो):

4. मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारी और सहयोग का विवरणः

(i) भारतीय वकीलों या भारतीय कानूनी फर्मों (यदि कोई हो) के साथ मौजूदा या प्रस्तावित साझेदारीः साझेदारी समझौते का विवरण प्रदान करें।

(ii) रेफरल व्यवस्था का विवरण (यदि कोई हो):

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों या भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(iii) विदेशी वकीलों या विदेशी कानूनी फर्मों के साथ प्रस्तावित साझेदारी का विवरणः प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

5. अनुपालन एवं पारस्परिक व्यवहारः

(i) भारतीय वकीलों के साथ पारस्परिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए गृह क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्रः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ii) गृह क्षेत्राधिकार में भारतीय वकीलों के लिए लागू शुल्क संरचनाओं का विवरणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(iii) गृह क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी): (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(iv) लक्ष्य क्षेत्राधिकार में पारस्परिक प्रावधानों का विवरणः (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. नैतिक और व्यावसायिक अनुपालनः

(i) गृह क्षेत्राधिकार में कोई आपराधिक दोषसिद्धि या व्यावसायिक कदाचार न होने की घोषणाः (शपथपत्र संलग्न करें)

(ii) कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न होने की घोषणाः (शपथ पत्र संलग्न करें)

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के विनियमों और आचार संहिता का पालन करने का वचनः (शपथ पत्र संलग्न करें)

(iv) भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा करने वाला शपथ पत्रः

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(v) विदेशी क्षेत्राधिकार कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा करने वाला शपथ पत्र:

7. वित्तीय आवश्यकताएँ:

(i) नवीकरण शुल्क भुगतान विवरण: (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(ii) सुरक्षा जमा भुगतान विवरण (यदि लागू हो): (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(iii) गैर–वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क भुगतान विवरण: (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म के रूप में नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों और भारतीय कानून फर्मों के लिए:

(iv) विदेशी क्षेत्राधिकार में शुल्क संरचना का प्रमाण:

8. सहायक दस्तावेज चेकलिस्ट:

(i) गृह क्षेत्राधिकार में कानून का अभ्यास करने के लिए प्राधिकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(ii) अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(iii) गृह क्षेत्राधिकार में सक्रिय कानूनी अभ्यास का प्रमाण। (अंतिम पंजीकरण के बाद से)

(iv) गृह क्षेत्राधिकार से पारस्परिक उपचार का प्रमाण पत्र।

(v) गृह क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र। (एनओसी)

(vi) कोई आपराधिक दोषसिद्धि या अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने का शपथपत्र।

(vii) भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन की घोषणा।

(viii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों और आचार संहिता का पालन करने का वचन।

(ix) प्रस्तावित या मौजूदा सहयोग और साझेदारी का विवरण।

(x) नवीनीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

(xi) राज्य विधिज्ञ परिषद् नामांकन प्रमाणपत्र। (विदेशी नवीनीकरण चाहने वाले भारतीय वकीलों के लिए)

(xii) विदेशी क्षेत्राधिकार में भारतीय अधिवक्ताओं के लिए पारस्परिक व्यवहार का प्रमाण।

9. घोषणाएँ और वचन:

(i) मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सटीक है।

(ii) मैं/हम प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किसी भी पूछताछ या सत्यापन के लिए सहमति देते हैं।

(iii) मैं/हम यह वचन देते हैं कि जब तक स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, मैं/हम भारतीय कानून का अभ्यास नहीं करेंगे अथवा भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे।

(iv) मैं/हम समझते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन न करने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

10. आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर:

(i) आवेदक का नाम (कानूनी फर्म के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता):

(ii) पदनाम (यदि लागू हो):

(iii) हस्ताक्षर:

(iv) दिनांकः

(v) स्थानः

11. केवल आधिकारिक उपयोग के लिए (भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा भरा जाएगा):

(i) आवेदन प्राप्ति की तिथिः

(ii) आवेदन संदर्भ संख्याः

(iii) सत्यापन स्थितिः स्वीकृत/अस्वीकृत

(iv) अनुमोदन/अस्वीकृति की तिथिः

(v) पंजीकरण संख्या (यदि अनुमोदित हो):

(vi) टिप्पणियां/शर्तें (यदि कोई हो):

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के प्राधिकृत अधिकारीः

(vii) नामः

(viii) पदनामः

(ix) हस्ताक्षरः

(x) मुहरः

12. प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशः

(i) आवेदन सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) नवीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और गैर–वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क के लिए भुगतान रसीदें संलग्न की जानी चाहिए।

(iii) आवेदन व्यक्तिगत रूप से, कूरियर के माध्यम से, foreign-renewal@barcouncilofindia.org at bci-foreign-renewal@gmail.com पर ईमेल द्वारा या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्दिष्ट ऑनलाइन लिंक/पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सेवा में,
प्रधान सचिव/संबंधित
भारतीय विधिज्ञ परिषद्
नई दिल्ली

फॉर्म–सी

भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के लिए फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा।

1. आवेदक की जानकारीः

(i) आवेदक का पूरा नाम (व्यक्तिगत वकील या लॉ फर्म का नाम)

(ii) आवेदक का प्रकार

(a) व्यक्तिगत विदेशी वकील

(b) विदेशी लॉ फर्म

(iii) योग्यता/पंजीकरण का प्राथमिक क्षेत्राधिकार

(iv) योग्यता/पंजीकरण के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार (यदि कोई हो):

(v) प्रधान कार्यालय का पता (गृह देश में)।

(vi) भारत में प्रस्तावित कार्यालय का पता (यदि लागू हो):

(vii) संपर्क विवरणः

(a) फोनः

(b) ईमेलः

(c) वेबसाइटः

2. भारत में प्रस्तावित फ्लाई–इन फ्लाई–आउट प्रैक्टिस का विवरण (नोटः प्रत्येक आगामी FIFO विजिट के लिए फॉर्म सी भरना होगा, जिसमें प्रत्येक मामले के लिए कानूनी कार्य की अवधि, उद्देश्य और प्रकृति निर्दिष्ट की जाएगी):

(i) भारत में प्रवास की इच्छित अवधि (तारीखें निर्दिष्ट करें):

(ii) पिछले 12 महीनों के दौरान भारत में रहने की कुल अवधिः

(iii) प्रस्तावित कानूनी कार्य की प्रकृतिः

(a) विदेशी कानून पर कानूनी सलाह

(b) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

(c) कानूनी परामर्श

(d) अन्य (निर्दिष्ट करें)

(iv) विशिष्ट कानूनी क्षेत्र शामिल

(a) कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून

(b) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

(c) बौद्धिक संपदा

(d) संयुक्त उद्यम और विलय

(e). अन्य (निर्दिष्ट करें)

3. ग्राहकों का विवरण और यात्रा का उद्देश्यः

(i) ग्राहक विवरण

(a) ग्राहक का नामः

(b) पताः

(c) संपर्क जानकारीः

(ii) यात्रा का उद्देश्य (कानूनी कार्य की प्रकृति और क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट करें):

4. वित्तीय आवश्यकताएँः

(i) फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा शुल्क भुगतान विवरण (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(ii) सुरक्षा जमा भुगतान विवरण (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

(iii) गैर–वापसीयोग्य प्रक्रिया शुल्क भुगतान विवरण (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)

5. वचनबद्धता एवं घोषणाएँः

(i) मैं/हम घोषणा करते हैं कि भारत में हमारा प्रवास विदेशी कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में कानूनी सलाह, परामर्श या मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से है और यह भारतीय कानून का अभ्यास नहीं है।

(ii) मैं/हम घोषणा करते हैं कि फ्लाई–इन फ्लाई–आउट प्रावधानों के अंतर्गत भारत में रहने की कुल अवधि 12 महीने की अवधि के भीतर 60 दिनों से अधिक नहीं होगी।

(iii) मैं/हम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में कोई कार्यालय, बुनियादी ढांचा या नियमित उपस्थिति स्थापित, संचालित या रखरखाव नहीं करने का वचन देता/देती हूं/देते हैं।

(iv) मैं/हम समझते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् घोषित उद्देश्य और ठहरने की अवधि की प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(v) मैं/हम विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों के लिए आचार संहिता सहित भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के तहत सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमति देते हैं।

6. आवेदक के हस्ताक्षर और मुहरः

(i) आवेदक का नाम (कानूनी फर्म के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता):

(ii) पदनाम (यदि लागू हो):

(iii) हस्ताक्षर

(iv) दिनांकः

(v) स्थानः

7. केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए (भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा भरा जाएगा):

(i) घोषणा प्राप्ति की तिथिः

(ii) घोषणा संदर्भ संख्याः

(iii) सत्यापन स्थितिः स्वीकृत/अस्वीकृत

(iv) टिप्पणियाँ/शर्तें (यदि कोई हो):

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के प्राधिकृत अधिकारीः

(v) नामः

(vi) पदनामः

(vii) हस्ताक्षरः

(viii) ब्लिस्टर सीलः

8. प्रस्तुत करने के लिए निर्देशः

(i) घोषणापत्र को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) फ्लाई–इन फ्लाई–आउट घोषणा शुल्क, सुरक्षा जमा और गैर–वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क के लिए भुगतान रसीदें संलग्न की जानी चाहिए।

(iii) आवेदन व्यक्तिगत रूप से, कूरियर के माध्यम से, ईमेल fifo@barcouncilofindia.org, at bci.fifo@gmail.com, पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्दिष्ट ऑनलाइन लिंक/पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

(iv) आवेदक को भारत में रहने की अवधि के दौरान घोषणा की एक प्रति रखनी होगी।

श्रीमंतो सेन, प्रधान सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./94/2025-26]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2025

F. No. BCI:D: 3335/2025.—The General Council of Bar Council of India hereby resolves to amend the Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022, earlier gazetted on 10th March, 2023.

The amended rules and regulations are approved by the Council and shall come into effect immediately upon publication in the Official Gazette.

Objects and Reasons:

1. In India Legal profession is treated as a noble profession. Legal Profession is not treated as a commercial activity or contract of service in India. *Law is not a trade, and briefs no merchandise so the leaven of commercial competition or procurement should not vulgarize the legal profession (Hon'ble Justice Krishnairyer*, V.R.)

2. Under the Indian Constitution, the legal profession is fundamentally distinct from trade and commerce in its objectives, governance, and societal role. While trade and commerce, protected under Article 19(1)(g) and regulated by Article 301, focus on economic activities such as profit generation, consumer satisfaction, and the promotion of free markets governed by principles of supply and demand, the legal profession transcends these commercial objectives. Recognized as a noble profession, the legal field is rooted in fiduciary and ethical responsibilities aimed at upholding justice and constitutional values, as emphasized in Article 39A, which ensures equal access to justice. Regulated by the Bar Council of India under the Advocates Act, 1961, the legal profession is dedicated to serving public interest and maintaining the Rule of Law, rather than operating as a commercial enterprise. This distinction was reinforced by the Supreme Court in *Bar of Indian Lawyers v. D.K. Gandhi PS National Institute of Communicable Diseases and Anr.*, delivered on May 14, 2024, which excluded advocates from the purview of the Consumer Protection Act, 2019 (CPA) by categorizing their services as "contracts of personal service" instead of "contracts for service." This judgment, which overturned a previous ruling by the NCDRC, highlights the unique advocate-client relationship built on trust, confidentiality, and professional ethics, and resolves a longstanding debate by affirming the non-commercial nature of legal services. The constitutional framework further emphasizes this distinction through the Seventh Schedule, with trade and commerce governed under the Union List (Entries 41 and 42), granting the Union exclusive authority over inter-state and international trade. In contrast, the legal profession is addressed under Union List Entries 77 and 78, while aspects of professional conduct also fall under the Concurrent List, and Union law i.e. Advocates Act shall prevail in case of conflict.

In essence, while trade and commerce prioritize economic growth and profit, the legal profession is dedicated to justice, ethical responsibility, and adherence to constitutional principles, making it a cornerstone of India's democratic framework.

3. In the opinion of the Bar Council of India, the legal profession in India has to rise to the occasion to address the global changes in the legal arena brought about by the large scale migration of people between countries, a phenomenon unprecedented in earlier times. The world is becoming a global village.

4. International trade and commerce are advancing at a rapid pace. The demand for an open, responsive, and receptive legal professional mechanism in India from clients and businesses operating in international and cross-border markets is growing significantly. The expansion of international legal work, the globalization of legal practices, and the increasing internationalization of law are becoming highly relevant to the growth and evolution of the legal profession and practices in India.

5. The Bar Council of India initially opposed the entry of foreign lawyers and foreign law firms into India in any form. However, between 2007 and 2014, during Joint Consultative Conferences held with the Chairmen, Vice-Chairmen, and Chairmen of the Executive Committees of all State Bar Councils in India, the legal fraternity authorized the Bar Council of India to engage in dialogue and interaction with the Government of India (Ministry of Law and Justice and Ministry of Trade and Commerce) as well as with law councils and law societies of foreign countries. The purpose of these discussions was to explore the potential and prospects of allowing foreign lawyers to practice law in India, particularly in the fields of foreign law and diverse international legal issues in non-litigious matters, based on the principle of reciprocity. The Bar Council of India has been actively pursuing this mandate.

   In the interim, a significant judgment was delivered by the Bombay High Court on December 16, 2009, in *Lawyers Collective v. Bar Council of India*. The Court held that the Reserve Bank of India was not justified in granting permission to foreign law firms to open liaison offices in India. Furthermore, the Court interpreted the expression "to practice the profession of law" under Section 29 of the Advocates Act, 1961, as encompassing both litigious and non-litigious matters. Consequently, it ruled that individuals or entities practicing non-litigious legal matters in India are also required to comply with the provisions of the Advocates Act, 1961.

6. The Madras High Court delivered a Judgment on 21.12.2012 in A.K. Balaji Versus Govt. of India in WP 5614 of 2004, and M.P. Nos. 1, 3 to 5,which, interalia, held as follows:-

   Para 63-"*After giving our anxious consideration to the matter, both on facts and on law, we come to the following conclusion:-*

(i) Foreign law firms or foreign lawyers cannot practice the profession of law in India either on the litigation or non-litigation side, unless they fulfill the requirement of the Advocates Act, 1961 and the Bar Council of India Rules.

(ii) However, there is no bar either in the Act or the Rules for the foreign law firms or foreign lawyers to visit India for a temporary period on a "fly in and fly out" basis, for the purpose of giving legal advise to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues.

(iii) Moreover, having regard to the aim and object of the International Commercial Arbitration introduced in the Arbitration and Conciliation Act, 1996, foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration.

(iv) *The B.P.O. Companies providing wide range of customised and integrated services and*

functions to its customers like word-processing, secretarial support, transcription services, proof-reading services, travel desk support services, etc. do not come within the purview of the Advocates Act, 1961 or the Bar Council of India Rules. However, in the event of any complaint made against these B.P.O. Companies violating the provisions of the Act, the Bar Council of India may take appropriate action against such erring companies." 2010 (2) Mah LJ 726

7. The Bombay High Court, in Lawyers Collective vs Bar Council of India in WP 1526 0f 1995, on the other hand, on 16th December, 2009 concluded as follows:

"*60. For all the aforesaid reasons, we hold that in the facts of the present case, the RBI was not justified in granting permission to the foreign law firms to open liaison offices in India under Section 29 of the 1973 Act. We further hold that the expressions 'to practise the profession of law' in Section 29 of the 1961 Act is wide enough to cover the persons practising in litigious matters as well as persons practising in non litigious matters and, therefore, to practise in non litigious matters in India, the respondent Nos. 12 to 14 were bound to follow the provisions contained in the 1961 Act. The petition is disposed of accordingly with no order as to costs."*

8. Both the above judgments were challenged in the Supreme Court. While Bar Council of India challenged the Judgment of the Madras High Court, Lawyers Collective challenged the judgment of Bombay High Court.

When the matter against the judgment of the Madras High Court came up for hearing before the Supreme Court on 4th July, 2012, following interim order was passed.

"In the meanwhile, it is clarified that Reserve Bank of India shall not grant any permission to the foreign law firms to open liaison offices in India under Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. It is also clarified that the expression "to practice the profession of law"under Section 29 of the Advocates Act, 1961 covers the persons practicing litigious matters as well as non-litigious matters other than contemplated in para 63(ii) of the impugned order and, therefore, to practice in non-litigious matters in India the foreign law firms, by whatever name called or described, shall be bound to follow the provisions contained in the Advocates Act, 1961." The said order has thereafter continued and is still in force.

9. The Hon'ble Supreme Court vide Judgment dated 13.3.2018 disposed of the appeals in both matters under the Civil Appeal Nos. 7875-7879 of 2015 with Civil Appeal Nos. 7170 of 2015 and Civil Appeal Nos. 8028 of 2015 in Bar Council of India Vs. A. K. Balaji and Ors. after consideration of the issues and held that:-

"37. *We have considered the rival submissions. Questions for consideration mainly arise out of directions in para 63 of the Madras High Court judgment which have already been quoted in the beginning of this judgment. viz.:*

(i) Whether the expression 'practice the profession of law' includes only litigation practice or non-litigation practice also;

(ii) Whether such practice by foreign law firms or foreign lawyers is permissible without fulfilling the requirements of Advocates Act and the Bar Council of India Rules;

(iii) If not, whether there is a bar for the said law firms or lawyers to visit India on 'fly in and fly out' basis for giving legal advice regarding foreign law on diverse international legal issues;

(iv) Whether there is no bar to foreign law firms and lawyers from conducting arbitration proceedings and disputes arising out of contracts relating to international commercial arbitration;

(v) Whether BPO companies providing integrated services are not covered by the Advocates Act or the Bar Council of India rules.

RE : (i)

"38. In Pravin C. Shah versus K.A. Mohd. Ali, it was observed that right to practice is genus of which right to appear and conduct cases is specie. It was observed:

"……*The right of the advocate to practise envelopes a lot of acts to be performed by him in discharge of his professional duties. Apart form appearing in the courts he can be consulted by his clients, he can give his legal opinion whenever sought for, he can draft instruments, pleadings, affidavits or any other documents, he can participate in any conference involving legal discussions etc. ……"*

In Ex. Capt. Harish Uppal versus Union of India 18, same view was reiterated.

"39. *Ethics of the legal profession apply not only when an advocate appears before the Court. The same also apply to regulate practice outside the Court. Adhering to such Ethics is integral to the administration of justice. The professional standards laid down from time to time are required to be followed. Thus, we uphold the view that practice of law includes litigation as well as non litigation.*

RE : (ii)

"40. *We have already held that practicing of law includes not only appearance in courts but also giving of opinion, drafting of instruments, participation in conferences involving legal discussion. These are parts of non-litigation practice which is part of practice of law. Scheme in Chapter-IV of the Advocates Act makes it clear that advocates enrolled with the Bar Council alone are entitled to practice law, except as otherwise provided in any other law. All others can appear only with the permission of the court, authority or person before whom the proceedings are pending. Regulatory mechanism for conduct of advocates applies to non-litigation work also. The prohibition applicable to any person in India, other than advocate enrolled under the Advocates Act, certainly applies to any foreigner also.*

RE : (iii)

"41. *Visit of any foreign lawyer on fly in and fly out basis may amount to practice of law if it is on regular basis. A casual visit for giving advice may not be covered by the expression 'practice'. Whether a particular visit is casual or frequent so as to amount to practice is a question of fact to be determined from situation to situation. Bar Council of India or Union of India are at liberty to make appropriate rules in this regard. We may, however, make it clear that the contention that the Advocates Act applies only if a person is practicing Indian law cannot be accepted. Conversely, plea that a foreign lawyer is entitled to practice foreign law in India without subjecting himself to the regulatory mechanism of the Bar Council of India Rules can also be not accepted. We do not find any merit in the contention that the Advocates Act does not deal with companies or firms and only individuals. If prohibition applies to an individual, it equally applies to group of individuals or juridical persons.*

RE: (iv)

"42. *It is not possible to hold that there is absolutely no bar to a foreign lawyer for conducting arbitrations in India. If the matter is governed by particular rules of an institution or if the matter notherwise falls under Section 32 or 33, there is no bar to conduct such proceedings in prescribed manner. If the matter is governed by an international commercial arbitration agreement, conduct of proceedings may fall under Section 32 or 33 read with the provisions of the Arbitration Act. Even in such cases, Code of Conduct, if any, applicable to the legal profession in India has to be followed. It is for the Bar Council of India or Central Government to make a specific provision in this regard, if considered appropriate.*

RE: (v)

"43. *The BPO companies providing range of customized and integrated services and functions to its customers may not violate the provisions of the Advocates Act, only if the activities in pith and substance do not amount to practice of law. The manner in which they are styled may not be conclusive. As already explained, if their services do not directly or indirectly amount to practice of law, the Advocates Act may not apply. This is a matter which may have to be dealt with on case to case basis having regard to a fact situation.*

"44. In view of above, we uphold the view of the Bombay High Court and Madras High Court in para 63 (i) of the judgment to the effect that foreign law firms/companies or foreign lawyers cannot practice profession of law in India either in the litigation or in non-litigation side (Explanation-unless they fulfill the requirement of the Advocates Act, 1961 and the Bar Council of India Rules), derived from conjoint reading of The Madras High Court Judgment on 21.12.2012 in A.K. Balaji Versus Govt. of India and the Hon'ble Supreme Court's Judgment dated 13.3.2018 disposing of the appeals in both matters in Bar Council of India Vs. A. K. Balaji and Ors.).

We, however, modify the direction of the Madras High Court in Para 63(ii) that there was no bar for the foreign law firms or foreign lawyers to visit India for a temporary period on a "fly in and fly out" basis for the purpose of giving legal advice to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues. We hold that the expression "fly in and fly out" will only cover a casual visit not amounting to "practice". In case of a dispute whether a foreign lawyer was limiting himself to "fly in and fly out" on casual basis for the purpose of giving legal advice to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues or whether in substance he was doing practice which is prohibited can be determined by the Bar Council of India.

However, the Bar Council of India or Union of India will be at liberty to make appropriate Rules in this regard including extending Code of Ethics being applicable even to such cases.

45. We also modify the direction in Para 63 (iii) that foreign lawyers cannot be debarred from coming to India to conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration. We hold that there is no absolute right of the foreign lawyer to conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration. If the Rules of Institutional Arbitration apply or the matter is covered by the provisions of the Arbitration Act, foreign lawyers may not be debarred from conducting arbitration proceedings arising out of international commercial arbitration in view of Sections 32 and 33 of the Advocates Act. However, they will be governed by code of conduct applicable to the legal profession in India. Bar Council of India or the Union of India are at liberty to frame rules in this regard.

46. We also modify the direction of the Madras High Court in Para 63(iv) that the B.P.O. Companies providing wide range of customized and integrated services and functions to its customers like word processing, secretarial support, transcription services, proof reading services, travel desk support services, etc. do not come within the purview of the Advocates Act, 1961 or the Bar Council of India Rules. We hold that mere label of such services cannot be treated as conclusive. If in pith and substance the services amount to practice of law, the provisions of the Advocates Act will apply and foreign law firms or foreign lawyers will not be allowed to do so."

10. During discussions and deliberations involving the Law Society of England & Wales, governmental delegates from the United Kingdom, and the Secretary of the Department of Legal Affairs, Government of India, it was noted that Indian lawyers and law firms are permitted to establish themselves in England and Wales. They can practice Indian law, international law, and provide advice on English law. However, Indian lawyers are generally restricted from engaging in six reserved activities as outlined in the regulatory framework for foreign lawyers in the UK. These reserved activities include:(1) the right to audience/appearing before a court, (2) conducting litigation, (3) performing reserved instrument activities (such as drafting contracts for short leases, wills, agreements not intended to be executed as deeds, powers of attorney, or conveyancing of property), (4) probate activities, (5) administering oaths, and (6) performing notarial activities. The Bar Council/Bar Standards Board also allows a temporary call to the Bar for visiting advocates handling a specific case or series of cases before English courts.

According to UK delegates, Indian lawyers only need to register as Registered Foreign Lawyers (RFL) if they enter partnerships with solicitors of England and Wales but they primarily remain under the regulatory authority of their Home Bar, i.e., the Bar Council of India.

Additionally, there is an established pathway for Indian advocates to requalify in England and Wales through the Solicitors Qualification Examination (SQE). This process includes provisions to apply for eligible exemptions, offering a structured approach for Indian lawyers to gain qualification as solicitors in the UK.

The Bar Council of India may also think of introducing some Qualifying Exam for the purpose of eligibility and exemptions in similar manner, if it does not adversely effect the interest of Indian Lawyers/Law Firms and the Government of India.

It is also to be noted that the Bar Council of India has entered into an MOU on 05.06.2023 with Bar Council of England and Wales and Law Society of England and Wales for exchange programs of Lawyers between both Jurisdictions. This strategic partnership aims to facilitate exchange programs for lawyers operating under both jurisdictions. Through these exchange programs, legal professionals from India and the United Kingdom will have the opportunity to share knowledge, expertise, and best practices in various areas of law. These initiatives are designed to enhance cross border understanding of legal systems, provide exposure to different judicial frameworks, and promote professional growth through collaboration and learning.

Such exchanges not only contribute to the professional development of individual lawyers but also strengthen the bonds between the legal communities of the two nations, paving the way for future cooperation and mutual benefits in the realm of international law and practice. This partnership emphasises the growing importance of global legal networks in an increasingly interconnected world.

The Bar Council of India is also keen to progress on the idea of an MoU between the Bar Council of India, the Government of India (through Ministry of Law and Justice) on one part and the Law Society of England and Wales, Government of U.K., Bar Council of England and Wales, on the other.

The U.K. Delegates have also assured the Bar Council of India that the Authorities in U.K. are also keen and interested in the means of collaboration, cooperation and joint practice between Indian advocates and UK lawyers.

11. The time has come to make a decisive move on this issue. The Bar Council of India believes that opening up the legal profession in India to foreign lawyers, limited to the practice of foreign law, handling diverse international legal issues in non litigious matters, and participating in international arbitration cases will meaningfully contribute to the growth of the legal domain in India, ultimately benefiting Indian lawyers as well. It is noteworthy that the proficiency and standards of Indian lawyers are comparable to international standards, and the legal fraternity in India will be in advantageous if law practice in India is opened to foreign lawyers in a restricted, controlled, and regulated manner based on the principle of reciprocity. Such an approach would be mutually beneficial for both Indian and foreign lawyers, and these rules represent a step by the Bar Council of India in this direction.

These rules will also address concerns about encouraging Foreign Direct Investment (FDI) in India and positioning the country as a hub for International Commercial Arbitration.

Many countries have already allowed foreign lawyers to practice foreign law, handle diverse international legal issues, and engage in arbitration matters within their jurisdictions under restricted and well-defined conditions.

12. Taking a comprehensive view, the Bar Council of India has resolved to implement these Rules, enabling foreign lawyers and foreign law firms to practice foreign law, diverse international law, and international arbitration matters in India on the principle of reciprocity, in a well-defined, regulated, and controlled manner.

To achieve these objectives, the Bar Council of India has framed the Bar Council of India Rules for Registration of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022, which have been duly amended in May 2025. These rules have been formulated under the rule-making powers conferred by clauses (d), (e), (ic), (l), and (m) of sub-section (1) of section 7 and clauses (ah), (ag), (c), (e), and (h) of sub-section (1) of section 49, read together with sections 24, 29, and 47 of the Advocates Act, 1961, and all other enabling provisions.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.: –

(a) These Rules shall be called as the Bar Council of India Rules for registration and regulation of foreign lawyers or foreign law firms in India, 2022.

(b) These Rules shall come into force in whole of India as soon as notified in the official Gazette.

2. Definitions :-

(i) 'Act' means The Advocates Act, 1961 as amended from time to time.

(ii) The definitions of different terms as given in the Act shall apply to these Rules as well.

(iii) **"Foreign Lawyer"** means any individual, law firm, limited liability partnership (LLP), company, corporation, or any other legal entity, by whatever name called or described, that is authorized to practice law under the regulatory framework of a foreign country. This includes engaging in non-litigious practice of law in India, such as legal consultancy, legal documentation, representation in arbitration proceedings, and other non-litigious legal activities related to foreign law and international law.

A Foreign Lawyer intending to practice law in India must comply with the registration and regulatory requirements prescribed by the Bar Council of India under applicable laws. Such registration may be subject to reciprocal recognition of foreign qualifications in law under conditions prescribed by the Bar Council of

India, including equivalence of qualifications, qualifying examinations, and restrictions on litigious legal practice in India.

(iv) **(a) Indian Advocate/Lawyer** refers to a person who is duly enrolled as an Advocate under the Advocates Act, 1961, on the rolls of any State Bar Council in India. Indian Lawyers are authorized to practice law before courts, tribunals, statutory authorities, and quasi judicial bodies, as well as to engage in non litigious legal activities, including legal consultancy, documentation, and advisory, subject to the rules and regulations framed by the Bar Council of India and respective State Bar Councils.

Explanation:

A citizen of a foreign country who has obtained a degree in law from an Indian university recognized by the Bar Council of India under the Advocates Act, 1961, shall not automatically acquire the right to practice law in India. Such entitlement is subject to approval by the Bar Council of India and may include conditions such as mandatory qualifying examinations or restrictions to non-litigious legal practice areas, such as consultancy, advisory, and drafting. The right to represent clients in courts, tribunals, or quasi-judicial bodies shall remain restricted unless explicitly permitted by the Bar Council of India.

These measures ensure the integrity and high standards of the Indian legal profession, while accommodating foreign citizens to contribute meaningfully within a limited and regulated framework.

(b) **An Indian Advocate/Lawyer who seeks registration as a foreign lawyer,** by virtue of enrollment under the Advocates Act, 1961, and who is additionally registered as a foreign lawyer as referred to in section 9 (2) of these rules, with the Bar Council of India, retains all the rights, interests, and privileges conferred upon advocates under the Advocates Act. This includes the right to practice law in both litigious and non-litigious areas, subject to the following principles.

(i) While registered as a foreign lawyer, the Indian advocate continues to function under the privileges and obligations of an advocate enrolled in India under Section 29 of the Advocates Act, 1961. This ensures their unrestricted ability to represent clients in litigation before Indian courts, tribunals, and other adjudicatory forums.

(ii) As a foreign lawyer, the Indian advocate gains the additional ability to engage in non-litigious legal practices concerning foreign law, international law, and arbitration matters, as permitted under Rule 8 and related regulations.

(iii) Registration as a foreign lawyer does not in any way limit or diminish the Indian advocate's rights to practice law under Indian laws, including the right to appear before courts or engage in other litigious activities, as guaranteed by their enrollment under the Advocates Act.

(iv) Indian advocates registered as foreign lawyers are subject to the regulatory oversight of the Bar Council of India in all aspects of their legal practice, whether in their capacity as Indian advocates or as foreign lawyers.

(v) **Foreign Law Firm means any entity**, including a partnership, LLP, company, or corporation, by whatever name called, that engages in legal work and is authorized to practice law under the laws of its home jurisdiction. Foreign Law Firms intending to operate in the legal arena in India, particularly in non- litigious areas such as foreign law and international law consultancy, documentation, and arbitration, must register with the Bar Council of India and comply with all applicable regulations governing the practice of law in India.

Such firms may be subject to specific conditions, including reciprocal recognition of qualifications, restrictions on the scope of practice, and compliance with rules governing foreign participation in the Indian legal sector.

Foreign Law Firm refer to entities and individuals practicing exclusively in non-litigious areas as defined under Rule 8, unless explicitly allowed by the Bar Council of India to undertake additional activities in accordance with Indian laws.

(vi) (a) Indian Law Firm refers to a partnership, limited liability partnership (LLP), private company, or other legal entity recognized under Indian law, whose members, partners, or shareholders are exclusively Indian Lawyers enrolled under the Advocates Act, 1961. Indian Law Firms may engage in the practice of law,

including but not limited to, Legal consultancy and advisory, drafting and vetting of legal documents and instruments, representation in litigation, arbitration, mediation, and other dispute resolution forums, Providing legal training or conducting legal research and may do any other legal work as authorized under Indian law

Indian Law Firms operating across multiple states must register with the Bar Council of India, while those operating within a specific state must register with the respective State Bar Council.

(b) An "Indian-Foreign Law Firm refers to any Indian legal entity, including but not limited to a partnership, Limited Liability Partnership (LLP), company, or corporation, that engages in legal work and is authorized to practice law under the laws of India. Such firms may additionally register under the category of Indian-Foreign Law Firm as permitted by the Bar Council of India, thereby gaining rights similar to those conferred upon individual Indian advocates registered as foreign lawyers. Indian-Foreign Law Firms intending to operate in the legal arena, particularly in non-litigious areas such as foreign law and international law consultancy, documentation, and arbitration, must adhere to specific principles.

Indian-Foreign Law Firms must register with the Bar Council of India under the applicable regulations. Registration enables such firms to engage in legal practices in both Indian and foreign law, ensuring compliance with the framework governing the Indian legal sector. These firms are permitted to engage in non-litigious legal practices concerning foreign law, international law, and arbitration matters, as defined under Rule 8 and related regulations. Additionally, they retain the unrestricted ability to practice Indian law, including representing clients in litigation before Indian courts, tribunals, and other adjudicatory forums.

The operation of Indian-Foreign Law Firms in foreign jurisdictions may be subject to reciprocal recognition of qualifications and compliance with rules governing Indian participation in those jurisdictions. Within India, these firms must adhere to regulations ensuring the integrity and professionalism of the legal sector. They are subject to the regulatory supervision of the Bar Council of India in all aspects of their practice, whether concerning Indian or foreign legal matters. This supervision ensures compliance with ethical standards, professional conduct, and rules governing litigious and non-litigious practices.

Indian-Foreign Law Firms retain full rights to practice Indian law, including litigious activities such as appearing before courts, tribunals, and other adjudicatory forums, as conferred upon them by their registration under the Advocates Act, 1961. Additionally, these firms gain the ability to provide advisory on foreign law and international law, offer legal documentation and consultancy related to cross-border transactions, and represent clients in arbitration proceedings involving foreign or international law. Registration as an Indian-Foreign Law Firm does not in any way limit or diminish the rights, privileges, and obligations conferred upon such firms under Indian law. Instead, it enhances their ability to engage in non-litigious areas of practice involving foreign jurisdictions, thereby expanding their professional scope.

Indian legal firms registered under this category enjoy the same rights and privileges as Indian advocates registered as foreign lawyers, ensuring parity and promoting global professional opportunities for Indian legal practitioners. In conclusion, the creation of the Indian-Foreign Law Firm category facilitates professional advancement for Indian legal entities, enabling them to operate seamlessly in both Indian and international legal arenas while maintaining strict compliance with regulatory standards.

(vii) For the purposes of these Rules, the term 'partnership' shall mean a formal legal partnership or equivalent association governed by a legal agreement. Indian lawyers or Indian law firms not registered under these Rules shall not enter into such partnerships with foreign lawyers or foreign law firms but may collaborate through referral arrangements or engagement contracts for consultancy and advisory.

(viii) **Foreign Country** means any country that is recognized as such by the Government of India. In the case of a foreign country with a federal structure of governance, the term includes any constituent state or province thereof, provided that such a constituent state or province has its own justice-delivery system and a distinct class of persons or entities entitled to practice law under the applicable laws of that country.

(ix) **Country of Primary Legal Qualification** means the foreign country where ~~a~~ the concerned foreign lawyer has obtained the requisite legal qualifications and is authorized or entitled to practice law in accordance with the legal and regulatory framework of that country.

(x) **Foreign Law** means the body of law, including statutes, regulations, judicial precedents, or other legal principles, that is or was in effect in a foreign country where an individual has obtained their primary legal qualifications or where the law is otherwise applicable. Foreign Law encompasses the legal framework governing entities, persons, and activities within that foreign jurisdiction.

(xi) **International law** refers to the body of rules, principles, and norms that govern the relationships and interactions between sovereign states, international organizations, and other recognized entities on a global level. It includes public international law, which addresses matters such as treaties, human rights, and territorial sovereignty, private international law, which deals with conflicts of laws and jurisdiction, and customary international law, which arises from the consistent and general practice of states accepted as legally binding. International law is derived from treaties, conventions, international agreements, customs, judicial decisions, and recognized scholarly writings.

(xii) **Competent Authority of the Foreign Country** means the government, a statutory authority, a Bar Council, a legally authorized association, or any other legally recognized and constituted body, by whatever name called or described, that is vested with the authority under the laws of the respective foreign jurisdiction to grant, regulate, or oversee the license, qualification, or permission to practice law.

Such an authority must operate in accordance with the legal and regulatory framework of that country and should be recognized by the relevant legal institutions as competent to certify legal practitioners, regulate their conduct, or enforce compliance with the standards of the legal profession within that jurisdiction.

(xiii) **International Commercial Arbitration** refers to alternative method of resolving disputes concerning commercial or monetary transactions conducted in India, where at least one of the parties involved is an individual who is a citizen of a foreign country, a firm, corporation, or business entity incorporated or having its registered address, principal office, or head office in a foreign country, or a party, including Indian citizens or entities, seeking resolution of disputes involving foreign law, international law, or cross-border commercial interests.

(xiv) **International Arbitration Case** means an arbitration proceeding conducted in India concerning a commercial or monetary matter, where at least one of the parties is an individual who is a citizen of a foreign country, a firm, corporation, or business entity incorporated or having its registered address, principal office, or head office in a foreign country, including entities with branch or regional offices in India, or a party seeking resolution of disputes involving foreign law, international law, or legal issues arising from cross border transactions or relationships

(xv) **"Foreign Client"** means any individual who is a citizen of a foreign country, any firm, corporation, or business entity incorporated or having its registered office/head office in a foreign country, including entities with branch or regional offices in India, or any person, including Indian citizens or entities, who seeks advice, consultation, on legal issues on matters pertaining to foreign law and/or international law within the jurisdiction of India.

CHAPTER-II

Registration as Foreign Lawyers and Foreign Law Firms- Scope, Conditions, and Limitations for Practicing Law in India

3. Registration of foreign lawyers or foreign law firms and eligibility criteria there for:–

(1) A foreign lawyer or foreign law firm shall not be permitted to practice law in India unless registered with the Bar Council of India under these Rules. This applies to Indian Advocates and Indian Law Firms seeking registration as Foreign Lawyer and Foreign Law Firm as per applicable rules hereinunder

Provided that this prohibition shall not apply to the practice of law by a foreign lawyer or foreign law firm conducted on a "fly-in, fly-out" basis, subject to the following conditions.

(a) Such practice is strictly limited to providing legal advice to clients in India concerning foreign law, the foreign lawyer's own legal system, or diverse international legal issues, and must not amount to "practice" as defined under Indian law.

(b) The engagement or expertise of the foreign lawyer or foreign law firm must be procured by the client either in a foreign country or in India.

(c) The foreign lawyer or foreign law firm must not establish, operate, or maintain any office, infrastructure, or regular presence in India for the purpose of such legal practice.

(d) The total duration of such practice in India shall not exceed 60 days in aggregate within any 12-month period, with the calculation starting from the first day of arrival in India. All subsequent days of presence within the 12-month period shall be counted consecutively, regardless of any interim departure and re-entry into India.

(e) In case of any dispute regarding whether the foreign lawyer's activities qualify as permissible "fly-in, fly-out" practice or constitute prohibited "practice" under Indian law, the matter shall be determined by the Bar Council of India.

(f) All rules and regulations that apply to registered foreign lawyers and registered foreign law firms to govern their activities including extending the applicability of the Code of Ethics to foreign lawyers and foreign law firms shall also apply to foreign lawyers and foreign law firms engaging in "fly-in, fly-out" practice except where explicitly exempted under these rules.

(2) Right to practice law in the concerned ‘foreign country of the primary qualification’ shall be the primary qualification for practicing law in India under these rules. Furthermore, if the foreign lawyer or foreign law firm (including Indian Lawyer or Indian-Foreign Law Firm seeking registration/registered as Foreign Lawyer or Foreign Law Firm) seeks to practice the foreign law of other jurisdictions and/or international law, they must possess the requisite qualifications and authorization to practice in those respective jurisdiction and areas of law.

CHAPTER-III

APPLICATIONS FOR REGISTRATION, RENEWAL OF REGISTRATION, AND MATTERS CONNECTED WITH LAW PRACTICE IN INDIA AS FOREIGN LAWYERS AND FOREIGN LAW FIRMS

4. Application for Registration

A foreign lawyer or foreign law firm, including Indian lawyers or Indian-foreign law firms seeking registration/registered as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms, may apply for registration under these rules in ‘FORM A’ appended to these Rules along with the registration fee and guarantee amount either in person or through post, courier, etc. This application and fee may also be submitted online by way of IMPS, NEFT, RTGS, SWIFT, or Telegraphic Transfer (TT), etc.

Such an application shall also be accompanied by non-refundable process charges of such an amount as may be fixed by the Bar Council of India from time to time. This application shall be addressed to the designated officer of Bar Council of India, and shall be accompanied by the following documents:

(a) A certificate from the Government of India (Ministry of Law & Justice and Ministry of External Affairs and Trade), or any other authority or officer authorized by the Union Government in this regard, stating

that an effective legal system exists in the concerned foreign country of the primary qualification and in other foreign countries whose laws the applicant wishes to practice, and that there is no objection to the applicant being registered under these Rules. However, the Bar Council of India may, as deemed necessary, seek information from the departments or ministries of foreign countries and may also directly communicate with any foreign government or authority to obtain such information when required.

(b) A detailed statement specifying the foreign jurisdiction(s) in which the foreign lawyer, and/or foreign law firm, intends to practice, including the areas of foreign law and international law.

(c) A certificate from the Competent Authority of the concerned foreign country of primary qualification and of all foreign countries whose laws the applicant wishes to practice certifying that the applicant is entitled to practice law in those countries.

(d) A certificate from the Government of the foreign country of primary qualification and of all foreign countries whose laws the applicant wishes to practice, or from a competent authority thereof, certifying that advocates enrolled under the Advocates Act, 1961 are permitted to practice law in those countries in a manner and to the extent comparable to the law practice permitted under these Rules, along with copies of the relevant Laws and Rules.

(e) A certificate from the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification, or any other competent authorities, courts, bar associations, bar councils, etc., stating that the applicant has been in practice in that country. **(Not Applicable for Indian Advocates or Indian Law Firms who seek registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms.)**

(f) A certificate from the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification stating that no proceedings of professional or other misconduct are pending either before it or before any other authority competent to entertain and decide such proceedings. **(Not Applicable for Indian Advocates or Indian Law Firms who seek registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms.)**

(g) A certificate of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification and of all foreign countries whose laws the applicant wishes to practice providing details of the fee structure and other amounts chargeable from an advocate enrolled under the Advocates Act, 1961, for enabling them to practice law in those countries along with relevant Rules and Laws.

(h) A No Objection Certificate from the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification stating that it has no objection to the applicant practicing law in India and confirming that the applicant enjoys a good standing in the Bar. **(Not Applicable for Indian Advocates or Indian Law Firms who seek registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms.)**

(i) A declaration on affidavit stating that the applicant has not been convicted of any offence and has not been subjected to any adverse order in any disciplinary matter. (In case the applicant has been convicted or subjected to an adverse order, copies of the relevant attested conviction/adverse order, along with other related documents such as appeal and stay, if any, or details of the sentence/fine suffered/paid, must be annexed).

(j) A declaration on affidavit stating that the applicant has no objection and consents to the Bar Council of India conducting inquiries or investigations, either on its own or through such government or non-government investigating agencies, as it may deem fit, to verify the veracity of the particulars disclosed by the applicant in the application and genuineness of the documents annexed therewith.

(k) An undertaking on oath stating that the applicant shall not practice Indian law in any form or appear before any court of law, tribunal, board, or any other authority legally entitled to record evidence on oath. **(Not Applicable for Indian Advocates or Indian Law Firms who seek registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms.)**

(l) Details of existing or proposed partnerships with foreign lawyers or foreign law firms, including partnerships with Indian lawyers or Indian law firms seeking registration as Foreign Lawyers or Indian-Foreign Law Firms, including terms of such collaborations. Indian lawyers or law firms not registered as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms under these Rules may only receive referred work but shall not enter into formal partnerships."

(m) A declaration on oath stating that the applicant shall not be entitled to, and shall not claim, any interest on the guarantee amount deposited by the applicant with the Bar Council of India at the time of registration under these Rules, and that the Bar Council shall be entitled to adjust and apply this guarantee amount towards penalties and costs that may be awarded by the Bar Council of India under the provisions of these Rules.

(n) A declaration on oath stating that the applicant fully understands and acknowledges that upon registration under these Rules, the Rules made thereunder, mutatis mutandis, apply to them in respect of their practice in India, and that they are subject to the jurisdiction of the Bar Council of India in relation to such practice.

(o) Details of existing or proposed partnerships with foreign lawyers or foreign law firms, including partnerships with Indian lawyers or Indian law firms seeking registration as Foreign Lawyers or Indian-Foreign Law Firms, including terms of such collaborations.

Additional Documentation Required from Indian Lawyers and Indian Law Firms seeking registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms

(p) A certificate of enrollment under the Advocates Act, 1961, issued by the respective State Bar Council, along with proof of active practice for a minimum of five years.

(q) A certificate of good standing from the respective State Bar Council confirming the absence of disciplinary action or adverse professional records.

(r) A detailed statement specifying the foreign jurisdiction(s) in which the Indian lawyer or Indian Law firm seeking registration as a Foreign Lawyer and Foreign Law Firm intends to practice, including the areas of foreign law and international law.

(s) Proof of reciprocal treatment confirming that Indian lawyers or law firms are permitted to practice in the target foreign jurisdiction under comparable conditions.

(t) A certificate of no objection from the relevant foreign jurisdiction's competent authority permitting the Indian lawyer or firm to practice law there.

(u) Details of existing or proposed partnerships with foreign lawyers or Foreign law firms, including terms of such collaborations.

(v) Documentation of fee structures applicable to Indian lawyers or law firms practicing in the foreign jurisdiction to ensure reciprocity.

(w) An undertaking to comply with applicable foreign laws and the regulations of the Bar Council of India, along with adherence to ethical and professional conduct norms in the foreign jurisdiction.

(x) An affidavit declaring the absence of any prior disciplinary actions or providing details if applicable.

(y) A declaration on affidavit stating that the applicant shall restrict foreign practice to non-litigious legal practices unless otherwise authorized.

VALIDITY OF REGISTRATION AND RENEWAL OF REGISTRATION

5. Validity of Registration and Renewal of Registration

(1) The registration granted under these Rules shall be valid for a period of five (5) years only. Indian lawyers or Indian law firms registered as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms, and foreign lawyers or foreign law firms registered under these Rules, would be required to renew their registration by filing an application for renewal in **"Form B"** within six months before the expiration of such validity.

(2) The renewal application may be submitted in **"Form B"** appended to these Rules, along with the renewal fee, either in person or through post, courier, or online as may be made available.

(3) This application for renewal shall be addressed to the designated officer of the Bar Council of India and shall be accompanied by the following documents:

Renewal Documents Required from Foreign Lawyers and Foreign Law Firms

(a) A certificate from the Government of India (Ministry of Law & Justice and Ministry of External Affairs and Trade), or such other authority or officer authorized in this regard, stating that an effective legal system continues to exist in the concerned foreign country of the applicant's primary qualification and other countries whose laws the applicant practices, and that there is no objection to the renewal of registration for the applicant.

(b) A detailed statement specifying the foreign jurisdiction(s) in which the foreign lawyer and/or foreign law firm intends to continue practicing, including areas of foreign law and international law.

(c) A certificate from the Competent Authority of the concerned foreign country of primary qualification and all other foreign countries whose laws the applicant practices, certifying that the applicant continues to be entitled to practice law in those countries since the initial registration under these Rules.

(d) A certificate from the Government of the foreign country of primary qualification or a competent authority thereof certifying that advocates enrolled under the Advocates Act, 1961 continue to be permitted to practice law in those countries in a manner and to the extent comparable to the law practice permitted under these Rules, along with copies of the relevant laws and rules.

(e) A certificate from the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification stating that no proceedings of professional or other misconduct have been filed or are pending either before it or before any other authority competent to entertain and decide such proceedings since the initial registration under these Rules.

(f) A No Objection Certificate from the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification stating that it has no objection to the applicant continuing to practice law in India under these Rules.

(g) A declaration on affidavit that the applicant has not been convicted of any offence and has not suffered any adverse order in any disciplinary matter after registration under these Rules. In case of any conviction or adverse order, attested copies of the relevant order, along with all related documents pertaining to the matter, including details of any appeal filed, stay granted, or sentence imposed/fine paid, must be annexed.

(h) A declaration on affidavit stating that the applicant has no objection and consents to the Bar Council of India making inquiries and conducting investigations, either on its own or through government or non-government investigating agencies, as it may deem fit, to verify the veracity of the particulars disclosed by the applicant in the application for renewal and the genuineness of the documents annexed.

(i) Documentation of the fee structures applicable to Indian lawyers or law firms practicing in the applicant's foreign jurisdiction to ensure reciprocity.

(j) An undertaking to comply with the applicable foreign laws and the regulations of the Bar Council of India, along with adherence to ethical and professional conduct norms in both Indian and foreign jurisdictions.

(k) Details of existing or proposed partnerships with foreign lawyers or foreign law firms, including partnerships with Indian lawyers or Indian law firms registered under these Rules as Foreign Lawyers or Indian-Foreign Law Firms, along with terms of such collaborations. Indian lawyers or Indian law firms not registered under these Rules may only continue to receive referred work but shall not enter into formal partnerships.

Renewal Documents Required from Indian Lawyers and Indian Law Firms Registered as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms

(l) A certificate of enrollment under the Advocates Act, 1961, issued by the respective State Bar Council, along with proof of active practice for the past five years.

(m) A certificate of good standing from the respective State Bar Council, confirming the absence of disciplinary action or adverse professional records.

(n) Proof of reciprocal treatment, confirming that Indian lawyers or law firms are permitted to continue practicing in the target foreign jurisdiction under conditions comparable to those offered to foreign lawyers or law firms in India.

(o) A certificate of no objection from the relevant foreign jurisdiction's competent authority, permitting the Indian lawyer or law firm to continue practicing law in that jurisdiction.

(p) An undertaking to comply with the regulations of the Bar Council of India, along with adherence to ethical norms in the foreign jurisdiction.

(q) An affidavit declaring the absence of any prior disciplinary actions or convictions. In case of prior disciplinary actions, details must be disclosed, including copies of relevant orders, appeals, and outcomes.

(r) A declaration on affidavit stating that the applicant shall restrict their foreign practice to non-litigious legal practices, unless otherwise authorized.

(4) The Bar Council of India may refuse to renew the registration of any foreign lawyer, foreign law firm, Indian lawyer, or Indian law firm if, in its opinion, the number of foreign lawyers or foreign law firms registered in India becomes disproportionate to the number of Indian lawyers or law firms permitted to practice law in the corresponding foreign country.

(5) To maintain balance, ensure complete reciprocity, and protect the interests of Indian lawyers or law firms, the Bar Council of India may limit the number of renewals or impose additional conditions for renewal.

6. Registration and renewal fee and guarantee amount:-

(A) After receipt of such an application, the Bar Council of India or a committee constituted by the Council for this purpose, shall examine the application, and conduct an enquiry regarding the genuineness of it's contents and the documents attached with the application. The Council shall also examine the relevant Laws, Rules and practices to ascertain the truth about the reciprocity with the concerned foreign country/ies. And after such examination and enquiry, if the application is found to be fit for registration, the Council shall issue a Certificate of Registration with a unique Registration Number.

(B) The Council will inform the Government of India (through the Ministry of Law and Justice) promptly after such registration and shall also forward a copy of such Registration certificate.

(C) In the matter of Registration, the Designated Advocates viz Senior Advocates (by whatever title or designation they hold in the relevant foreign country), such advocates shall be accorded preference, similar to the rights and privileges of Senior or Designated Advocates as outlined under Section 23 of the Advocates Act, 1961.

(D) An application for registration or renewal of registration must be accompanied by a registration or renewal fee. This fee shall be equivalent to the fee and other charges imposed in the foreign country of primary qualification on an advocate enrolled under the Advocates Act for registration or permission to practice law in that country. However, if the equivalent fee is less than the amount specified in the schedule, the fee as per the schedule shall prevail. Conversely, if the equivalent fee is greater than the amount specified in the schedule, the higher equivalent fee shall apply. The schedule may be updated or amended from time to time.

(E) The Security deposit shall be returnable to the foreign lawyer or Foreign Law Firm when he/it voluntarily terminates foreign law practice in India or when its/his registration expires or when his registration is cancelled permanently but Bar Council of India shall be entitled to adjust and deduct amounts equivalent to the penalty and costs imposed by it on it/him under these rules from this Security deposit in case it/he omits to pay. The security deposit shall be refundable to the foreign lawyer or foreign law firm upon voluntary termination of their practice of foreign law in India, upon the expiration of their registration, or in the event of permanent cancellation of their registration. However, the Bar Council of India reserves the right to adjust and deduct amounts equivalent to any penalties or costs imposed under these from the security deposit if such penalties or costs remain unpaid by the foreign lawyer or foreign law firm.

(F) The Security deposit shall be maintained by the Bar Council of India under a separate Head account, and the interest accruing on it shall be utilized to meet the expenses associated with the due implementation and management of these Rules.

7. **Disposal of applications for registration and renewal:-**

The Bar Council of India may approve the application for registration or renewal filed under these rules, if it is satisfied that the application is supported by all the relevant documents, fulfills all the conditions as required under these Rules and the applicant is not subject to any criminal or disciplinary proceedings that would render applicant unsuitable for practicing law in India under these rules. Additionally, the applicant's country of primary qualification must allow advocates enrolled under the Advocates Act, 1961, to practice

law in that country in a manner and to the extent comparable to the practice permitted under these Rules, ensuring adherence to the principle of reciprocity. The principle of reciprocity shall also include the right of the Bar Council of India to verify that Indian lawyers or Indian law firms are not subjected to unfair discrimination or denial of similar privileges in the applicant's country of primary qualification.

However, the Bar Council of India may not reject an application for registration/renewal unless a reasonable opportunity of being heard has been afforded to the applicant Advocate or Law Firm. In the event of rejection of application for registration/renewal, the registration fee/renewal fee/guarantee amount deposited by the applicant shall be returned to him after adjusting and deducting such amounts as are recoverable by the Bar Council of India under these Rules or as administrative expenses as deemed fit by Bar Council of India.

Provided that the Bar Council of India may, hold consultation with the Government of India through the Ministries of Law and Justice, or any other ministry if the same is deemed necessary in a particular case, to ensure that the applicant fulfills all the relevant requirements and conditions as laid down by these Rules. The Bar Council of India may also seek the opinion of the Hon'ble Chief Justice of India or any sitting Judge of Supreme Court, the Union Minister of Law & Justice and / or the Union Minister for Foreign Affairs, or any other Union Minister any other Senior Advocate or Jurist or the Bar Council of India may place the matter before Advisory Board of Bar Council of India for the Development of Legal Education & Legal Profession on any issue relating to registration, renewal, or cancellation of registration of any foreign lawyer or foreign law firm or their area(s) of practice it deems fit and proper.

However, Bar Council of India shall be the final authority in all these matters.

Provided that the aforesaid registration and renewal thereof shall not, in any way, entitle the foreign lawyer or foreign law firm to have free and unregulated entry and stay in India for which it/he remains governed by the Indian Law and lawful orders/instructions issued by the Government of India, State Governments, statutory bodies or any other competent authorities in India from time to time.

Provided further that the government of India shall have the right to recommend cancellation of the aforesaid registration or renewal at any time on the ground of national security or if it is of the opinion that such registration or renewal is against the National interest, or for any other valid ground.

Provided further that the Bar Council of India may seek information from the Government of India through Ministry of Law and Justice or any other Ministries of Union Government about the existence of an effective legal system in the concerned foreign country/ies and also about the existence of any unfair discrimination in the matter of law practice by Indian advocates in those country/ies and Bar Council of India may initiate proceedings for cancellation of registration or for cancellation of renewal of registration in case government of India certifies, either on its asking or otherwise, that an effective legal system no longer exists in the concerned foreign country/ies and that Indian Lawyers are being subjected to unfair discrimination there.

CHAPTER-IV

LAW PRACTICE BY FOREIGN LAWYERS & FOREIGN LAW FIRMS

8. Law practice by a foreign lawyer and/or foreign Law Firm, it's nature and extent thereof:-

(1) A foreign lawyer or Law firm registered under rules shall be entitled to practice law in India in non-litigious matters only, subject to such exceptions, conditions and limitations as are laid down under these Rules. Such a lawyer shall be deemed to be an advocate within the meaning sections 29, 30 and 33 of the Act qua such acts and deeds as are envisaged or permitted to be performed by him under these Rules as a foreign lawyer. However, a foreign Lawyer or Foreign Law Firm shall not be subject to proceedings under Chapter V of the Advocates Act; rather in case of any substantive misconduct, the Bar Council of India may cancel the registration of such Foreign Lawyer or Foreign Law Firm as the case may be.

(2) (a) The areas of practice for foreign lawyers and foreign law firms in India shall be determined and laid down by the Bar Council of India. If deemed necessary, the Bar Council of India may consult the Government of India, Ministry of Law and Justice in this regard.

(b) Foreign lawyers and foreign law firms are strictly prohibited from appearing before Indian courts, tribunals, or other statutory or regulatory authorities unless explicitly permitted by the Bar Council of India or as provided under these Rules.

(c) Foreign lawyers and foreign law firms are prohibited from performing the following activities

i. Conveyancing of property, title investigation, or similar work.

ii. Drafting, preparing, or filing documents for proceedings before Indian courts, tribunals, or other authorities empowered to record evidence on oath.

(d) Prohibited activities listed under these Rules shall be enforceable through penalties, including suspension or cancellation of registration, as prescribed under Rule 10.

(e) The practice of law by a foreign lawyer or foreign law firm in India shall be limited to non-litigious areas involving foreign law and/or international law. Permissible areas of practice include

(i) Engaging in corporate legal matters such as joint ventures, mergers and acquisitions, intellectual property matters, drafting of contracts, and other related transactional work, provided such work is on a reciprocal basis.

(ii) Representing clients in both institutional and ad hoc international arbitration cases conducted in India provided such representation does not contravene the provisions of these Rules or the Advocates Act, 1961. Such clients may include individuals, firms, companies, corporations, trusts, or societies with their principal office or address in a foreign country. These arbitration cases may involve foreign law, international law, or the laws of jurisdictions other than the lawyer's home country.

(iii) Providing legal advice and opinions concerning the laws of their country of primary qualification, international law, and the foreign laws of jurisdictions other than the country of primary qualification.

(iv) The practice of law by foreign lawyers or foreign law firms in India shall further include the following specific areas

(a) Providing legal advice, conducting transactions, and giving opinions on the laws of their country of primary qualification, international law, and the foreign laws of other jurisdictions.

(b) Representing clients in international arbitration cases conducted in India. Such clients may include individuals, firms, companies, corporations, trusts, or societies with their principal office or address in a foreign country. These arbitration cases may involve foreign law, international law, or a combination thereof.

(c) Providing legal expertise and advice, and appearing as a lawyer for

(i) Entities having a principal office or address in the foreign country of their primary qualification or any other foreign country.

(ii) Entities or individuals seeking advice or assistance related to foreign law of any country and/or international law, in proceedings before bodies other than courts, tribunals, boards, or statutory authorities that are not legally empowered to record evidence on oath. Such work must involve essential knowledge of foreign law of the country of primary qualification, as well as international law and the foreign laws of other jurisdictions involved.

(v) Providing legal expertise and advice concerning the laws of their country of primary qualification, as well as international law and foreign laws of other jurisdictions. This excludes representation or preparation of documents for submission to Indian courts, tribunals, or other forums empowered to record evidence on oath, or the preparation of any petitions, documents, or pleadings to be submitted to such forums regarding procedural matters.

3. Indian advocates enrolled with any State Bar Council and working as partners or associates in foreign law firms registered in India under these rules may engage in non litigious matters, including advisory work

related to foreign law or international law. They may also represent clients in international arbitration forums or international law courts as referred by their respective foreign law firms. Such advocates shall not claim any additional rights or privileges solely based on their enrollment as advocates in India when practicing through foreign law firms. However, Indian advocates and partners in such law firms, in accordance with their enrollment rights and privileges to practice law in Indian courts, may take up matters referred by their respective foreign law firms, provided such matters fall within the scope of Indian law and the advocate's permissible area of practice.

4. Foreign lawyers and foreign law firms intending to practice law in India must register with the Bar Council of India under applicable rules and regulations and comply with the conditions laid down for reciprocal recognition of foreign qualifications, including equivalence of qualifications, qualifying examinations, and restrictions on litigious practice.

5. Foreign lawyers and foreign law firms may engage in the practice of law in India on a "fly-in, fly-out" basis without registration, subject to the following conditions:

(i) Such practice is strictly limited to providing legal advice to clients in India concerning foreign law, the foreign lawyer's own legal system, or diverse international legal issues, and must not amount to "practice" as defined under Indian law.

(ii) The engagement or expertise of the foreign lawyer or foreign law firm must be procured by the client either in a foreign country or in India.

(iii) The foreign lawyer or foreign law firm must not establish, operate, or maintain any office, infrastructure, or regular presence in India for the purpose of such legal practice.

(iv) The total duration of such practice in India shall not exceed 60 days in aggregate within any 12-month period. The 60-day aggregate period shall be calculated as consecutive calendar days, commencing from the first day of arrival in India, irrespective of any interim departures and subsequent re-entries during the 12-month period.

(v) Furthermore, any declaration of Fly-In Fly-Out practice in **Form-C** must clearly specify the nature of work, legal areas involved, client details, and jurisdictions. Additionally, it must be expressly stated that the practice is limited to legal consultancy on foreign law, international law, and arbitration, without constituting practice of Indian law.

(vi) In case of any dispute regarding whether the foreign lawyer's activities qualify as permissible "fly-in, fly-out" practice or constitute prohibited "practice" under Indian law, the matter shall be determined by the Bar Council of India.

(vii) All rules and regulations that apply to registered foreign lawyers and registered foreign law firms, including the applicability of the Code of Ethics to govern their activities, shall also apply to foreign lawyers and foreign law firms engaging in "fly-in, fly-out" practice, except where explicitly exempted under these rules.

Any Foreign Lawyer or Law Firm shall be required to inform the Bar Council of India before its arrival in India and shall also intimate about the details of the work and its duration of its stay in India

9. Incidental matters regarding the opening of law offices in India, entering into partnerships, procuring other legal expertise/advise etc. in connection with the practice of law in India.:-

A registered foreign lawyer or foreign Law Firm shall be entitled to do the following things in connection with the practice of law in India: -

(i) Open a law office or offices in India for carrying on law practice in India as mentioned in Rule 8 of these Rules, subject to the condition that the Bar Council of India shall be kept informed of the particulars of such. office(s), including the postal address, the name of the owner/lessee of the property where the office(s) are located and the documents enabling and entitling the foreign lawyer or law firm to occupy it

(ii) Engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers and/ or Indian-Foreign Law Firm/s registered as Foreign Law Firm

(iii) To procure the legal expertise/advise of any Advocate enrolled with any State Bar Council in India on any subject relating to Indian Laws. However, such registered foreign lawyer or foreign Law Firm shall not be entitled to appear before any Indian Court, Tribunal or any other statutory forum except for the matters mentioned under provision of Rule 8 of these Rules.

(iv) Indian lawyers or Indian law firms may enter into partnerships with foreign lawyers or foreign law firms only if they are registered under these Rules as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms. However, Indian lawyers and Indian law firms may receive referred work from foreign lawyers or foreign law firms without requiring registration under these Rules."

(v) Foreign lawyers or foreign law firms may engage Indian lawyers enrolled under the Advocates Act, 1961, for advisory and consultancy related to Indian law. However, such engagement does not entitle Indian lawyers to represent clients in Indian courts, tribunals, or statutory authorities on behalf of foreign lawyers or foreign law firms unless they act independently under their enrollment as advocates.

(vi) Indian lawyers may work as employees, consultants, or advisors in foreign law firms abroad without requiring registration under these Rules. Partnership status in foreign law firms shall be governed by the laws of the respective foreign jurisdiction."

CHAPTER-V

DISCIPLINARY ISSUES AND PENALTIES

10. Disciplinary issues.:–

1. A foreign lawyer or Lawyer associated with a foreign Law Firm registered under these rules shall normally be subject to the same ethical and practice standards laid down under the Advocates Act, 1961 and Rules made there under as are the advocates enrolled under the Act.

2. Where, upon receipt of a complaint or otherwise, the Bar Council of India has reason to believe that any foreign lawyer or foreign law firm registered under these Rules has been guilty of professional or other misconduct in connection with law practice in India, or has violated the terms, conditions, and/or provisions of these Rules in any manner, the Council shall exercise its authority to handle the matter as follows:

(a) The Bar Council of India shall first conduct a preliminary inquiry to assess the merits of the allegations. During this inquiry, the foreign lawyer or foreign law firm shall be provided a reasonable opportunity to present their case, submit evidence, and respond to the allegations. This inquiry shall aim to establish whether there exists a prima facie case of misconduct or violation warranting further action.

(i) If the BCI, after such inquiry, determines that the misconduct or violation is minor or technical in nature, it may issue a warning, reprimand, or impose a penalty as deemed appropriate, without referring the matter further.

(ii) If the BCI finds that the misconduct or violation is substantial or serious in nature, indicating a grave breach of ethical or professional standards, it may impose a penalty as deemed appropriate, and/or suspend the registration of the foreign lawyer or foreign law firm for such period as it deems fit.

(b) After imposing the penalty or suspension, the BCI may refer the matter to the disciplinary authority of the concerned foreign country for further investigation or disciplinary action. The BCI shall also monitor the progress and outcome of such proceedings to ensure accountability.

(c) In cases where the misconduct or violation is grave and prima facie apparent on the face of the record, the BCI may, after providing a preliminary hearing, impose a penalty as deemed appropriate and directly suspend the registration of the foreign lawyer or foreign law firm on an interim basis. A report of the matter, along with details of the action taken, shall be sent to the Government of India through the Ministries of Foreign Affairs and Law and Justice.

(d) The BCI shall have the authority to independently conclude disciplinary proceedings, including cancellation of registration, in cases where it determines that the misconduct or violation warrants such action.

(e) In addition to the disciplinary measures imposed by the BCI, the matter may be referred to the disciplinary authority of the concerned foreign country for further proceedings under its jurisdiction, where applicable.

(f) The BCI shall ensure that all disciplinary proceedings under this Rule are conducted in a fair, impartial, and time-bound manner. Efforts shall be made to conclude the process within six months from the date of issuance of the notice of inquiry.

11. Consequences of Securing Registration by Misrepresentation, Fraud, etc.:

If the Bar Council of India, either on a complaint made to it by the Government of India, an individual, or otherwise, is satisfied that any person or law firm has secured registration or renewal of registration as a foreign lawyer or foreign law firm through misrepresentation of an essential fact, fraud, or undue influence, it may take appropriate actions after providing the person or entity an opportunity to be heard. Any action taken by the Bar Council of India under this Rule shall be reasonable, proportionate, and conducted in accordance with the principles of natural justice.

(a) Cancel the registration or renewal of the foreign lawyer or foreign law firm, with or without a penalty.

(b) If the allegations are found to lack substance, dismiss the complaint or drop the proceedings.

(c) Reprimand the foreign lawyer or foreign law firm for the misconduct.

(d) Suspend the registration of the foreign lawyer or foreign law firm for such period as the Council may deem fit.

(e) Impose a monetary penalty of an amount as determined appropriate by the Council.

(f) Impose costs on the foreign lawyer or foreign law firm for the proceedings.

(g) Ban the foreign lawyer or foreign law firm from applying for registration or renewal for a specified period, which may extend up to 10 years.

(h) Confiscate any security deposit provided under the Rules.

(i) Recommend criminal proceedings under relevant Indian laws if the fraud or misrepresentation involves criminal intent.

(j) Direct the foreign lawyer or foreign law firm to compensate affected clients or parties, if applicable and appropriate.

CHAPTER-VI

12. Regulatory authority. –

The Bar Council of India shall have the right of issuing such directions and regulations from time to time, as are necessary for the proper implementation and execution of these Rules. The Bar Council of India may hold deliberations and consultations with its counterparts i.e. statutory authorities in regulation of the legal profession in different foreign countries in consultations with the Government of India (Ministry of Law and Justice and/or Ministry of External Affairs or if necessary the Ministry of Home Affairs or any other Ministry of Govt. of India) These consultations shall be based on the principle of reciprocity aimed at promoting and strengthening the legal profession in India and to keep pace with the globalization.The objective is to provide a vibrant and effective framework for legal profession that can cater to the ever changing needs of the people, belonging to different religions, faiths and personal laws, as well as those migrating from one country to another and to promote international progress, coherence and unity.

The Bar Council of India is responsible for ensuring the reciprocity in the treatment of Indian lawyers and law firms abroad. The Council has right to cancel the registration of any foreign lawyer or law firm, any time, if it comes to the notice of the council through any source that the Indian lawyers or Indian law firms are being discriminated by the concerned counterpart foreign country in any manner. Such cancellation of registration shall only be undertaken after providing the concerned foreign lawyer, foreign law firm, or the relevant foreign government an opportunity to present their stand.

13. Removal of difficulties.:–

In the event of any doubt or dispute regarding the meaning, interpretation or execution of these Rules, the Bar Council of India shall be the final authority to resolve and settle all such disputes and its decision thereon shall be final and binding.

SCHEDULE FOR REGISTRATION, RENEWAL, AND FLY-IN FLY-OUT DECLARATION FEES FOR FOREIGN LAWYERS AND FOREIGN LAW FIRMS.

1. Registration Fee:

i. Individual Foreign Lawyer: USD 15,000 or equivalent fee in the foreign lawyer's primary jurisdiction, whichever is higher.

ii. Foreign Law Firm (including partnerships, LLPs, or corporations): USD 25,000 or equivalent fee in the foreign firm's primary jurisdiction, whichever is higher.

iii. Additional Registration Fee for Multiple Foreign Jurisdictions:

- USD 5,000 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- USD 10,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

2. Renewal Fee (Every Five Years):

i. Individual Foreign Lawyer: USD 8,000 or equivalent fee in the foreign lawyer's primary jurisdiction, whichever is higher.

ii. Foreign Law Firm: USD 15,000 or equivalent fee in the foreign firm's primary jurisdiction, whichever is higher.

iii. Renewal Fee for Multiple Jurisdictions:

- USD 2,000 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- USD 5,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

3. Fly-In Fly-Out Declaration Fee

i. Individual Foreign Lawyer: USD 3,000 per declaration.

ii. Foreign Law Firm: USD 6,000 per declaration.

iii. Additional Jurisdictions:

- USD 1,000 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- US 2,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

4. Renewal of Fly-In Fly-Out Declaration:

i. Individual Foreign Lawyer: USD 1,500 per renewal.

ii. Foreign Law Firm: USD 3,000 per renewal.

iii. Additional Jurisdictions:

- USD 500 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- USD 1,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

5. Security Deposit (Refundable):

i. Individual Foreign Lawyer: USD 10,000 (refundable upon termination, adjusted for penalties if applicable).

ii. Foreign Law Firm: USD 30,000 (refundable upon termination, adjusted for penalties if applicable).

iii. Security Deposit for Multiple Jurisdictions:

- USD 2,500 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- USD 5,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

iv. Security Deposit for Fly-In Fly-Out Practice:

- USD 5,000 for Individual Foreign Lawyers, refundable after the declared period, adjusted for any penalties.

- USD 10,000 for Foreign Law Firms, refundable after the declared period, adjusted for any penalties.

6. Non-Refundable Process Charges as per Rule 4 (1):

i. Individual Foreign Lawyer: USD 2,000 per application.

ii. Foreign Law Firm: USD 5,000 per application.

iii. Additional Process Fee for Multiple Jurisdictions:

- USD 500 per jurisdiction for Individual Foreign Lawyers.

- USD 1,000 per jurisdiction for Foreign Law Firms.

7. Principles and Guidelines:

i. Applies to all registrants, including individuals, partnerships, LLPs, and corporations.

ii. Fees may be revised periodically by the Bar Council of India to align with global and local conditions.

iii. Fees may be adjusted to reflect the costs imposed on Indian lawyers or firms practicing in the foreign jurisdiction.

iv. Non-refundable process charges are mandatory for every new registration, renewal, and Fly-In Fly-Out declaration, and are separate from the registration, renewal, and security deposit fees.

Note: In case of any conflict or confusion the English version shall be referred.

To,
Principal Secretary/Concerned
Bar Council of India
New Delhi

FORM-A

Application for Registration of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India.

1. Applicant Information:-

i **Full Name of the Applicant (Individual Lawyer or Law Firm Name):**

ii Type of Applicant:

(a) Individual Foreign Lawyer

(b) Foreign Law Firm

(c) Indian Lawyer seeking registration as a Foreign Lawyer

(d) Indian Law Firm seeking registration as a Foreign Law Firm

iii Primary Jurisdiction of Qualification/Registration:

iv Additional Jurisdictions of Qualification/Registration (if any):

v Address of the Principal Office (in Home Country):

vi Address of Proposed Office in India (if applicable):

vii Contact Details:

a. Phone:

b. Email:

c. Website:

viii Legal Entity Type (for Firms): Partnership / LLP / Corporation / Other (Specify)

Additional Details for Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Registration as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

ix State Bar Council of Enrollment (for Indian Advocates):

x Enrollment Number under the Advocates Act, 1961:

xi Proof of Active Practice in India (Minimum 5 years): (Attach relevant document)

2. Details of Authorization to Practice Law in Foreign Jurisdictions:

i Certificate of Registration/Authorization from Competent Authority of the Primary Jurisdiction: (Attach certified copy)

ii Certificates from Competent Authorities of Additional Jurisdictions (if any): (Attach certified copies)

iii Scope of Legal Practice Allowed in Home Jurisdiction: Litigious / Non-Litigious / Both

iv Proof of Active Practice in Home Jurisdiction: (Attach relevant document) For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Foreign Registration:

v. Proof of Reciprocal Treatment in Foreign Jurisdiction: (Attach certified copy)

vi Certificate of No Objection from Competent Foreign Authority: (Attach certified copy)

3. Details of Proposed Practice in India:

i Nature of Legal Practice Proposed in India: Non-Litigious / International Arbitration / Foreign Law Advisory / International Law Consultancy

ii Specific Areas of Intended Practice:

a. Corporate and Commercial Law

b. International Arbitration

c. Intellectual Property

d. Joint Ventures and Mergers

e. Others (Specify)

iii. Intended Duration of Practice in India: Temporary / Permanent

iv. Proposed Office Location(s) in India (if applicable):

4. Details of Partnerships and Collaborations:

i. Existing or Proposed Partnerships with Indian Lawyers or Indian Law Firms (if any): Provide details of the partnership agreement.

ii. Details of Referral Arrangements (if any):

For Indian Lawyers or Indian Law Firms Seeking Foreign Registration

iii. Details of Proposed Partnerships with Foreign Lawyers or Foreign Law Firms: Provide relevant documentation.

5. Compliance and Reciprocal Treatment:

i. Certificate from Competent Authority in Home Jurisdiction Ensuring Reciprocal Treatment to Indian Lawyers: (Attach certified copy)

ii. Details of Fee Structures Applicable to Indian Lawyers in Home Jurisdiction: (Attach certified copy)

iii. No Objection Certificate (NOC) from Home Jurisdiction Competent Authority: (Attach certified copy)

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Foreign Registration:

iv. Details of Reciprocal Provisions in Target Jurisdiction: (Attach certified copy)

6. Ethical and Professional Compliance:

i. Declaration of No Criminal Conviction or Professional Misconduct in Home Jurisdiction: (Attach affidavit)

ii. Declaration of No Pending Disciplinary Proceedings: (Attach affidavit)

iii. Undertaking to Adhere to Bar Council of India Regulations and Code of Ethics: (Attach affidavit)

iv. Affidavit Declaring Compliance with Indian Laws and Regulations:

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Foreign Registration:

v. Affidavit Declaring Compliance with Foreign Jurisdiction Laws and Regulations:

7. Financial Requirements:

i. Registration Fee Payment Details: (Attach proof of payment)

ii. Security Deposit Payment Details: (Attach proof of payment)

iii. Non-Refundable Process Charges Payment Details: (Attach proof of payment)

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Foreign Registration:

iv. Proof of Fee Structure in Foreign Jurisdiction:

8. Supporting Documentation Checklist:

i. Certified copy of the Certificate of Authorization to Practice Law in Home Jurisdiction

ii Certificates from Competent Authorities of Additional Jurisdictions (if applicable)

iii. Proof of Active Legal Practice in Home Jurisdiction

iv. Certificate of Reciprocal Treatment from Home Jurisdiction

v. No Objection Certificate (NOC) from Home Jurisdiction Competent Authority

vi. Affidavit of No Criminal Conviction or Disciplinary Action

vii. Declaration of Compliance with Indian Laws and Regulations

viii. Undertaking to Follow Bar Council of India Rules and Code of Ethics

ix. Details of Proposed or Existing Collaborations and Partnerships

x. Proof of Payment of Registration Fee, Security Deposit, and Process Charges

xi. State Bar Council Enrollment Certificate (For Indian Lawyers Seeking Foreign Registration)

xii. Proof of Reciprocal Treatment for Indian Advocates in Foreign Jurisdiction

9. Declarations and Undertakings:

i I/We hereby declare that all the information provided in this application is true and accurate to the best of my/our knowledge.

ii I/We consent to any inquiries or verifications by the Bar Council of India regarding the authenticity of the information and documents submitted.

iii I/We undertake not to practice Indian law or appear before Indian courts, tribunals, or statutory authorities unless explicitly permitted.

iv I/We understand that failure to comply with the rules and regulations laid down by the Bar Council of India may result in suspension or cancellation of registration.

10. Applicant's Signature and Seal:

i. Name of Applicant (Authorized Signatory in case of Law Firm):

ii. Designation (if applicable):

iii. Signature:

iv. Date:

v. Place:

11. Official Use Only (To be filled by the Bar Council of India):

i. ate of Receipt of Application:

ii. Application Reference Number:

iii. Verification Status: Approved / Rejected

iv. Date of Approval/Rejection:

v. Registration Number (if Approved):

vi. Remarks/Conditions (if any):

Authorized Officer of the Bar Council of India:

vii. Name:

viii. Designation:

ix. Signature:

x. Seal:

12. Instructions for Submission:

i. The application must be submitted in duplicate along with all supporting documents.

ii. Payment receipts must be attached for the registration fee, security deposit, and non-refundable process charges.

iii. Applications may be submitted in person, via courier, via email, at foreign.registration@barcouncilofindia.org or at bci.foreign.register@gmail.com or electronically through the designated online link/portal of the Bar Council of India.

To,
Principal Secretary/Concerned
Bar Council of India
New Delhi

FORM-B

Application for Renewal of Registration of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India.

1. Applicant Information (Renewal):

(i) Full Name of the Applicant (Individual Lawyer or Law Firm Name):

(ii) Type of Applicant:

(a) Individual Foreign Lawyer

(b) Foreign Law Firm

(c) Indian Lawyer seeking renewal as a Foreign Lawyer

(d) Indian Law Firm seeking renewal as a Foreign Law Firm

(iii) Primary Jurisdiction of Qualification/Registration:

(iv) Additional Jurisdictions of Qualification/Registration (if any):

(v) Registration Number Issued by Bar Council of India:

(vi) Address of the Principal Office (in Home Country):

(vii) Address of Existing Office in India (if applicable):

(viii) Contact Details:

a. Phone:

b. Email:

c. Website:

(ix) Legal Entity Type (for Firms): Partnership / LLP / Corporation / Other (Specify)

Additional Details for Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(x) State Bar Council of Enrollment (for Indian Advocates):

(xi) Enrollment Number under the Advocates Act, 1961:

(xii) Proof of Active Practice in India (Minimum 5 years): (Attach relevant document

2. Details of Current Authorization to Practice Law in Foreign Jurisdictions:

(i) Certificate of Registration/Authorization from Competent Authority of the Primary Jurisdiction: (Attach certified copy)

(ii) Certificates from Competent Authorities of Additional Jurisdictions (if any): (Attach certified copies)

(iii) Scope of Legal Practice Allowed in Home Jurisdiction: Litigious / Non-Litigious / Both

(iv) Proof of Active Practice in Home Jurisdiction (Since Last Registration/Renewal): (Attach relevant document)

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(v) Proof of Reciprocal Treatment in Foreign Jurisdiction: (Attach certified copy)

(vi) Certificate of No Objection from Competent Foreign Authority: (Attach certified copy)

3. Details of Continued Practice in India:

(i) Nature of Legal Practice Continued in India: Non-Litigious / International Arbitration / Foreign Law Advisory / International Law Consultancy

(ii) Specific Areas of Practice Continued in India:

a. Corporate and Commercial Law

b. International Arbitration

c. Intellectual Property

d. Joint Ventures and Mergers

e. Others (Specify)

(iii) Duration of Continued Practice in India (Since Last Renewal):

(iv) Office Location(s) in India (if applicable):

4. Details of Existing or Proposed Partnerships and Collaborations:

(i) Existing or Proposed Partnerships with Indian Lawyers or Indian Law Firms (if any): Provide details of the partnership agreement.

(ii) Details of Referral Arrangements (if any):

For Indian Lawyers or Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(iii) Details of Proposed Partnerships with Foreign Lawyers or Foreign Law Firms: Provide relevant documentation.

5. Compliance and Reciprocal Treatment:

(i) Certificate from Competent Authority in Home Jurisdiction Ensuring Reciprocal Treatment to Indian Lawyers: (Attach certified copy)

(ii) Details of Fee Structures Applicable to Indian Lawyers in Home Jurisdiction: (Attach certified copy)

(iii) No Objection Certificate (NOC) from Home Jurisdiction Competent Authority: (Attach certified copy)

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(iv) Details of Reciprocal Provisions in Target Jurisdiction: (Attach certified copy)

6. Ethical and Professional Compliance:

(i) Declaration of No Criminal Conviction or Professional Misconduct in Home Jurisdiction: (Attach affidavit)

(ii) Declaration of No Pending Disciplinary Proceedings: (Attach affidavit)

(iii) Undertaking to Adhere to Bar Council of India Regulations and Code of Ethics: (Attach affidavit)

(iv) Affidavit Declaring Compliance with Indian Laws and Regulations:

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(v) Affidavit Declaring Compliance with Foreign Jurisdiction Laws and Regulations:

7. Financial Requirements:

(i) Renewal Fee Payment Details: (Attach proof of payment)

(ii) Security Deposit Payment Details (if applicable): (Attach proof of payment)

(iii) Non-Refundable Process Charges Payment Details: (Attach proof of payment)

For Indian Lawyers and Indian Law Firms Seeking Renewal as Foreign Lawyers or Foreign Law Firms:

(iv) Proof of Fee Structure in Foreign Jurisdiction:

8. Supporting Documentation Checklist:

(i) Certified copy of the Certificate of Authorization to Practice Law in Home Jurisdiction

(ii) Certificates from Competent Authorities of Additional Jurisdictions (if applicable)

(iii) Proof of Active Legal Practice in Home Jurisdiction (Since Last Registration)

(iv) Certificate of Reciprocal Treatment from Home Jurisdiction

(v) No Objection Certificate (NOC) from Home Jurisdiction Competent Authority

(vi) Affidavit of No Criminal Conviction or Disciplinary Action

(vii) Declaration of Compliance with Indian Laws and Regulations

(viii) Undertaking to Follow Bar Council of India Rules and Code of Ethics

(ix) Details of Proposed or Existing Collaborations and Partnerships

(x) Proof of Payment of Renewal Fee, Security Deposit, and Process Charges

(xi) State Bar Council Enrollment Certificate (For Indian Lawyers Seeking Foreign Renewal)

(xii) Proof of Reciprocal Treatment for Indian Advocates in Foreign Jurisdiction

9. Declarations and Undertakings:

(i) I/We hereby declare that all the information provided in this application is true and accurate to the best of my/our knowledge.

(ii) I/We consent to any inquiries or verifications by the Bar Council of India regarding the authenticity of the information and documents submitted.

(iii) I/We undertake not to practice Indian law or appear before Indian courts, tribunals, or statutory authorities unless explicitly permitted.

(iv) I/We understand that failure to comply with the rules and regulations laid down by the Bar Council of India may result in suspension or cancellation of registration.

10. Applicant's Signature and Seal:

(i) Name of Applicant (Authorized Signatory in case of Law Firm):

(ii) Designation (if applicable):

(iii) Signature:

(iv) Date:

(v) Place:

11. Official Use Only (To be filled by the Bar Council of India):

(i) Date of Receipt of Application:

(ii) Application Reference Number:

(iii) Verification Status: Approved / Rejected

(iv) Date of Approval/Rejection:

(v) Registration Number (if Approved):

(vi) Remarks/Conditions (if any):

Authorized Officer of the Bar Council of India:

(vii) Name:

(viii) Designation:

(ix) Signature:

(x) Seal:

12. Instructions for Submission:

(i) The application must be submitted in duplicate along with all supporting documents.

(ii) Payment receipts must be attached for the renewal fee, security deposit, and non-refundable process charges.

(iii) Applications may be submitted in person, via courier, email at foreign.renewal@barcouncilofindia.org or at bci.foreign.renewal@gmail.com or electronically through the designated online link/portal of the Bar Council of India.

To,
Principal Secretary/Concerned
Bar Council of India
New Delhi

FORM-C

Fly-In Fly-Out Declaration for Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India.

Applicant Information:-

1. i Full Name of the Applicant (Individual Lawyer or Law Firm Name):

ii Type of Applicant:

(a) Individual Foreign Lawyer

(b) Foreign Law Firm

iii Primary Jurisdiction of Qualification/Registration:

iv Additional Jurisdictions of Qualification/Registration (if any):

v Address of the Principal Office (in Home Country):

vi Address of Proposed Office in India (if applicable):

vii Contact Details:

a. Phone:

b. Email:

c. Website:

Details of Proposed Fly-In Fly-Out Practice in India (*Note: Form C must be filled out for each subsequent FIFO visit, specifying the duration, purpose, and nature of legal work for each instance):*

2. i Duration of Intended Stay in India (Specify dates):

ii Aggregate Duration of Stay in India within the Last 12 Months:

iii Nature of Legal Work Proposed:

a. Legal Advisory on Foreign Law

b. International Arbitration

c. Legal Consultancy

d. Others (Specify)

iv Specific Legal Areas Involved:

a. Corporate and Commercial Law

b. International Arbitration

c. Intellectual Property

d. Joint Ventures and Mergers

e. Others (Specify)

3. Details of Clients and Purpose of Visit:

i Client Details:

a. Name of Client:

b. Address:

c. Contact Information:

ii Purpose of Visit (Specify nature of legal work and jurisdiction involved):

4. Financial Requirements:

i Fly-In Fly-Out Declaration Fee Payment Details (Attach proof of payment)

ii Security Deposit Payment Details (Attach proof of payment)

iii Non-Refundable Process Charges Payment Details (Attach proof of payment)

5. Undertaking and Declarations:

i I/We hereby declare that the intended stay in India is for the purpose of providing legal advice, consultancy, or arbitration services regarding foreign law or international law and does not constitute practice of Indian law.

ii I/We declare that the aggregate duration of stay in India under Fly-In Fly-Out provisions shall not exceed 60 days within a 12-month period.

iii I/We undertake not to establish, operate, or maintain any office, infrastructure, or regular presence in India for the purpose of providing legal services.

iv I/We understand that the Bar Council of India reserves the right to inquire and verify the authenticity of the declared purpose and duration of stay.

v I/We consent to comply with all applicable rules and regulations under the Bar Council of India Rules, including the Code of Ethics for Foreign Lawyers and Foreign Law Firms.

6. Applicant's Signature and Seal:

i. Name of Applicant (Authorized Signatory in case of Law Firm):

ii. Designation (if applicable):

iii. Signature:

iv. Date:

v. Place:

7. Official Use Only (To be filled by the Bar Council of India):

i. Date of Receipt of Declaration:

ii Declaration Reference Number:

iii Verification Status: Approved / Rejected

iv Remarks/Conditions (if any):

Authorized Officer of the Bar Council of India:

v Name:

vi Designation:

vii Signature:

viii Seal:

8. Instructions for Submission:

i The declaration must be submitted in duplicate along with all supporting documents.

ii Payment receipts must be attached for the Fly-In Fly-Out declaration fee, security deposit, and non-refundable process charges.

iii Applications may be submitted in person, via courier, email at fifo@barcouncilofindia.org at bci.fifo@gmail.com or electronically through the designated online link/portal of the Bar Council of India.

iv A copy of the declaration must be maintained by the applicant during the duration of stay in India.

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./94/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.14 15:17:54 +05'30'